जनता वैदिक कॉलिज

बड़ौत-250611 (बागपत)

स्थापित 1917

Facebook Page
https://www.facebook.com/Janta-Vedic-College-Baraut-354737465616118/

दूरभाष : 01234-262130

Website : www.jvc.ac.in

E-mail : jvcollege@gmail.com

नैक द्वारा मूल्यांकित 'A' ग्रेड कॉलिज (3.39/4.00 CGPA) 05-01-2013 to 04-01-2018

UGC से उत्कृष्टता क्षमता (CPE) प्राप्त कॉलिज

चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध

विवरणिका 2022-23

प्रबन्ध समिति

अध्यक्ष	–	श्री वीरेन्द्र पाल सिंह
उपाध्यक्ष	–	श्री बुद्ध सिंह
मंत्री	–	श्री योगेन्द्र सिंह सोलंकी
उपमंत्री	–	श्री श्योदान तोमर
कोषाध्यक्ष	–	श्री महक सिंह
संस्थापक सदस्य	–	डॉ. राजपाल सिंह
	–	श्री कृष्णपाल सिंह
सदस्य	–	श्री सतेन्द्रपाल सिंह
सदस्य	–	श्री देवेन्द्र सिंह
सदस्य	–	श्री बीरपाल सिंह
सदस्य	–	श्री अनुज मान
सदस्य	–	श्री बिरेश तोमर
लेखा परीक्षक	–	श्री हरबीर सिंह
लेखा परीक्षक	–	श्री यतेन्द्र कुमार

प्राचार्य

प्रो. (डॉ.) जय कुमार सरोहा

दूरभाष (का०) : 01234 - 262130
कॉलिज वेबसाइट : www.jvc.ac.in
कॉलिज ई-मेल : jvcollege@gmail.com
कॉलिज फेसबुक पृष्ठ : https://www.facebook.com/Janta-Vedic-College-Baraut- 354737465616118/

विवरणिका समिति

संयोजक - डॉ. प्रताप चौधरी
सदस्य - डॉ. विनय कुमार
सदस्य - डॉ. अमर पाल सिंह
सदस्य - डॉ. नीलम राणा

छात्र कल्याण अधिष्ठाता (DSW)	- डॉ. प्रताप चौधरी	✆ 9412111884
मुख्य नियन्ता	- डॉ. विनय कुमार	✆ 9412648258
निदेशक स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम	- डॉ. मदनपाल सिंह	✆ 9837584399
कार्यालय अधीक्षिका	- डॉ. पूनम मलिक	✆ 9634925867
लेखाकार	- श्री रवित कुमार	✆ 9837830690
परीक्षा लिपिक	- श्री गुलबीर सिंह	✆ 9058505785
कला संकाय लिपिक	- श्री शशिकान्त	✆ 9412002891
विज्ञान संकाय लिपिक	- श्री संजीव कुमार	✆ 9927801827
कृषि संकाय एवं छात्रवृत्ति लिपिक	- श्री दीपक भारती	✆ 7302789725

जनता वैदिक कॉलिज, बड़ौत

(एक उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान)

भारतीय दृष्टि से शिक्षा का उद्देश्य है सर्वांगीण विकास अर्थात् शरीर मन, बुद्धि और आत्म विकास या रूपान्तरण। भारतीय संस्कृति के सन्देश को दुनिया तक पहुँचाने वाले महानायक स्वामी विवेकानन्द ने समाज के लिए शिक्षा की अनिवार्यता पर जोर देते हुए कहा था कि ''यदि बच्चे विद्यालय नहीं पहुँच रहें हैं तो विद्यालय को बच्चों तक पहुँचाना होगा।'' सामाजिक सरोकार की यही मूल भावना जनता वैदिक महाविद्यालय की मूल प्रेरणा है और इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु महाविद्यालय वैदिक संस्कारपूर्ण परिवेश में उच्च शिक्षा देने में अपना अभिनव तथा राष्ट्रीय दायित्व के निर्वहन का स्तुत्य प्रयास कर रहा है।

नवम्बर 2012 में नैक पियर टीम द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण कर रिपोर्ट NAAC को सौंपी गई। इस रिपोर्ट के आधार पर नैक NAAC की 62वीं कार्य परिषद् की बैठक में महाविद्यालय को 'A' ग्रेड (CGPA 3.39/4.00) प्रदान किया गया। दिनांक 24-03-2013 को बैंगलोर में आयोजित कार्यक्रम में तत्कालीन प्राचार्य डॉ० यशवीर सिंह तोमर ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के अध्यक्ष प्रो० वेदप्रकाश के कर-कमलों से मूल्यांकन प्रमाण-पत्र प्राप्त किया। **62वीं कार्य परिषद् में मूल्यांकित किये गये महाविद्यालय में एवं विश्वविद्यालयों में जनता वैदिक कॉलिज बड़ौत को भारतवर्ष में तृतीय स्थान एवं उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।**

आधुनिक सुविधाओं से युक्त महाविद्यालय परिसर

21वीं सदी में विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरुप महाविद्यालय परिसर को आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण किया गया है। शैक्षिक गुणवत्ता की उत्कृष्टता बनाये रखने के लिए आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC) की स्थापना की गयी है। केन्द्रीय पुस्तकालय सभी विभाग एवं समस्त शिक्षकों को INFLIBNET की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। छात्रों को विश्वस्तर की शैक्षिक सामग्री एवं नवीनतम जानकारी हेतु परिसर को Wi-Fi बनाया गया है, जिससे कार्यालय, पुस्तकालय एवं सभी विभाग इंटरनेट से अनवरत जुड़े हुए हैं। महाविद्यालय परिसर में अनुशासन बनाए रखने के लिए एवं परिसर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए महत्वपूर्ण जगहों पर CCTV कैमरे लगाये गये हैं जिनका प्राचार्य कक्ष से संचालन होता है। विद्युत आपूर्ति की निश्चितता बनाए रखने के लिए एवं अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में उदाहरण बनने के लिए परिसर में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गयी है जिसका क्रमशः विस्तार किया जा रहा है। अध्ययन कक्षों को छात्र एवं छात्राओं के लिए उपयोगी एवं रुचिकर बनाने के लिए स्मार्ट बोर्ड स्थापित किए गए हैं।

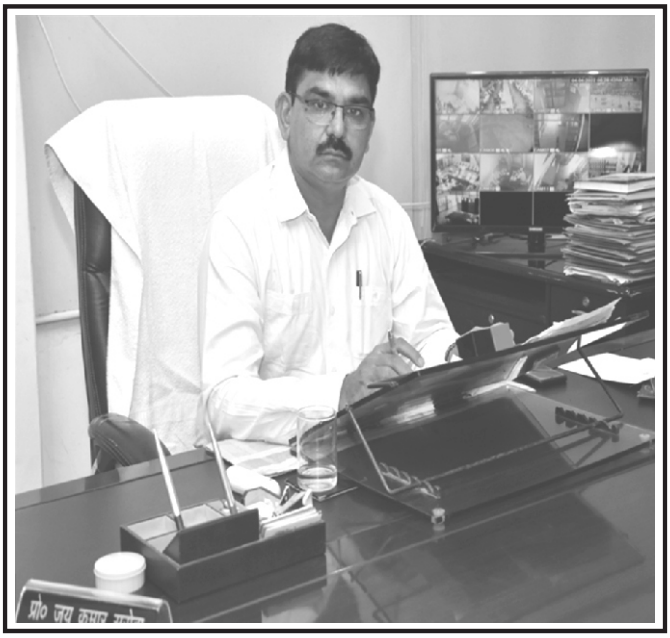

प्राचार्य का सन्देश

प्रिय विद्यार्थियों,

प्राचीन, गौरवशाली और महान भविष्य की उत्कृष्टता, समानता एवं समावेशिता को अपने कलेवर में संजोए जनता वैदिक कॉलिज, बड़ौत (बागपत) राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी वैदिक एवं वैज्ञानिक पहचान बनाए हुए है। महाविद्यालय की 105 वर्षों की समृद्ध एवं गौरवशाली यात्रा के परिणाम स्वरुप यह संस्था राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (NAAC) द्वारा 'A' ग्रेड (05-01-2013 to 04-01-2018) प्राप्त है। अर्द्धशहरी परिवेश में पल्लवित पुष्पित संस्था का परिसर विशाल, हरा-भरा, प्लास्टिक मुक्त एवं धुम्रपान रहित है। भारतवर्ष के कोने-कोने में तथा दुनिया के अधिकांश देशों में इस महाविद्यालय के पूर्व छात्र किसी न किसी रुप में प्रतिष्ठित हैं। सत्र 2022-23 की विवरणिका का प्रकाशन करते हुए महाविद्यालय से सम्बन्धित जानकारी का समावेश करने का प्रयास किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को प्रवेश लेने के समय एवं बाद में किसी भी प्रकार की असुविधा न हों। इस वर्ष संस्था ने अपने आधार पाठ्यक्रमों का नव विस्तार भी किया है। हम विद्यार्थियों को सर्वोत्तम गुणवत्ता युक्त शिक्षा एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

संस्था में विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धी एवं शैक्षणिक परिवेश में ज्ञान, तर्क, विवेक एवं सर्जनात्मक क्षमताओं का विस्तार कर उनके स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करने का

प्रयास किया जाता है। महाविद्यालय कृषि, विज्ञान और कला संकाय की गुणवत्ता के प्रतीक के रुप में विख्यात है। कौशल विकास प्रकोष्ठ में व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर विद्यार्थियों में नेतृत्व करने के गुण विकसित कर आत्म निर्भर भारत के निर्माण के अवसर प्रदान किए जाते हैं। संस्था में एक सक्रिय प्लेसमेंट सेल है। जिसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर कृषि क्षेत्र में विद्यार्थियों को सफलतापूर्वक रोजगार दिलाये जा रहे हैं।

वैदिक संस्कृति से ओतप्रोत महाविद्यालय का सकारात्मक, रचनात्मक, बहुआयामी शैक्षणिक वातावरण है। विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विकास के साथ-साथ उन्हें समाज और राष्ट्र के नव निर्माण में योगदान देने के लिए जागरुक कर वसुद्यैव कुटुम्बकम् की भावना को पोषित करने का प्रयास किया जाता है। परिश्रम, संयम, धैर्य, निपुणता, सजगता, ज्ञान वान, अनुशासित, नैतिक मूल्यों को धारण करने वाला विद्यार्थी सफलता के सोपान सहजता और सुगमता से पार कर दूसरों के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। संस्था के गौरवशाली इतिहास में ऐसे विद्यार्थियों की संख्या में आप श्री वृद्धि करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इस पावन उद्देश्य में महाविद्यालय के अनुभवी, सम्मानित विद्वान प्राध्यापकों के मार्गदर्शन का लाभ उठाकर नैतिक मूल्यों की स्थापना कर उच्च लक्ष्य को प्राप्त करके स्वस्थ समाज और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे।

इस मंगल कामना के साथ ज्ञान और उज्जवल भविष्य की सुखद यात्रा में नयें क्षितिज पर आप सभी का स्वागत करता हूँ।

आचार्य (डॉ.) जय कुमार सरोहा

प्राचार्य

जनता वैदिक कॉलिज

– भौगोलिक स्थिति एवं पृष्ठभूमि

बड़ौत, उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद का एक विकासशील नगर है। यह दिल्ली-सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजधानी दिल्ली से 56 किमी० की दूरी पर स्थित है। यह मेरठ से लगभग 55 किमी० दूरी पर सड़क मार्ग से जुड़ा है। यहाँ से देहरादून, हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, सोनीपत, करनाल, शामली आदि के लिए बस सेवा उपलब्ध है। बड़ौत दिल्ली-सहारनपुर रेलमार्ग (वाया शामली) से जुड़ा हुआ है। संचार व्यवस्था से यह नगर देश-विदेश से हर समय जुड़ा रहता है।

जनता वैदिक कॉलिज, बड़ौत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से सम्बद्ध है। वीसवीं सदी के प्रारम्भ में महर्षि दयानन्द द्वारा स्थापित आर्य समाज का आन्दोलन प्राचीन रूढ़ियों एवं कुरीतियों का उच्छेदन कर सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय जीवन में नवजीवन का संचार कर रहा था। इसी पृष्ठभूमि में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद (वर्तमान बागपत जनपद) की गंगा-यमुना की इस शस्य श्यामला भूमि पर बड़ौत नगर के कृषक वर्ग ने 20 अक्टूबर 1917 को जाट वैदिक हाईस्कूल सोसायटी की स्थापना की जिसके अथक निःस्वार्थ प्रयासों से इसे डिग्री कॉलिज का दर्जा 1949 में तथा स्नातकोत्तर दर्जा 1958 में प्राप्त हुआ। वर्तमान में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के लिए माननीय प्रबन्ध समिति एवं माननीय सांसद एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री डॉ० सत्यपाल सिंह द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं।

यह महाविद्यालय बड़ौत नगर के उत्तरपूर्व में यमुना नहर के रजवाहे के किनारे शहर से बाहर की ओर दिल्ली-सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। यह उत्तर भारत की प्राचीनतम संस्थाओं में से एक है। यहाँ के अनेक छात्र देश-विदेश में विभिन्न संस्थानों में उच्च पदों पर आसीन हैं तथा इस महाविद्यालय के गौरव को ओर अधिक उत्कृष्ट बनाते हैं।

जनता वैदिक कॉलिज, बड़ौत (बागपत)

Vission & Mission

भविष्य निरूपण (Vission)

गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुसंकाय एवं सहशिक्षण संस्थान के रूप में विकसित होकर समाज के सभी वर्गों को उच्च गुणवत्ता का साहित्यिक, वैज्ञानिक, कृषि, औद्योगिक, तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करना जिससे सृजित प्रतिभा सम्पन्न और निपुण मानव संसाधन देश की आधारभूत सम्पत्ति बने और लोगों में मानवीय मूल्यों, प्राचीन वैदिक विवेक एवं प्रगतिशील दृष्टिकोण को प्रोत्साहन देना जिससे कि सभी समुदाय के लोगों के जीवन स्तर में गुणात्मक वृद्धि हो।

इस महाविद्यालय के नाम के मध्य में **''वैदिक''** शब्द इसके हृदय में अंकित प्रतीत होता है और हमें उन पवित्र वेदों में निहित प्राचीन ज्ञान भण्डार का स्मरण दिलाता है और उसे अपने वचन, कर्म और सामुदायिक सेवा में प्रतिबिम्बित करने की प्रेरणा देता है जिससे छात्र-छात्राओं को वैदिक मूल्यों की शिक्षा स्वतः प्राप्त हो।

लक्ष्य-विवरण (Mission Statement)

- ☆ प्रतिभा सम्पन्न, सुयोग्य एवं अत्यन्त अनुभवी शिक्षक, सुसज्जित प्रयोगशाला और समृद्ध पुस्तकालय तथा विभिन्न विषयों में अत्याधुनिक अध्ययन एवं अनुसंधान हेतु विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना।
- ☆ राष्ट्रीय सेवा योजना, रोवर्स-रेंजर्स, योग कौशल विकास और पाठ्येत्तर क्रियाकलाप तथा खेलकूद एवं मनोविनोद द्वारा छात्र-छात्राओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास को सहज एवं सुसाध्य बनाना।
- ☆ सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए छात्र-छात्राओं को मुख्य धारा में लाने हेतु उपचारिक शिक्षण (Remedial Classes) कक्षाओं का संचालन करना।
- ☆ पारिस्थितिकी तन्त्र और पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सावधानी से उनका उपयोग करने हेतु जागरूकता लाना।
- ☆ कृषि एवं पशुपालन के पारम्परिक प्रणाली के संरक्षण एवं प्रसार को प्रोत्साहन देना।
- ☆ स्वनियोजन हेतु युवा शक्ति का सृजनात्मक एवं रचनात्मक कार्यों हेतु सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत साझेदारी को विकसित करना व प्रोत्साहित करना।
- ☆ कृषि एवं दुग्धशाला प्रौद्योगिकी अनुसंधान को क्षेत्र के वास्तविक कृषि एवं दुग्ध उद्योग से जोड़ना।
- ☆ आधुनिक अध्ययन और अनुसंधान का लाभ ग्रामीण क्षेत्र के किसानों और कारीगरों को दिलाने के लिए उनका शोधार्थियों से नियमित सम्बन्ध स्थापित करना और ग्रामीण क्षेत्र को विस्तारिक प्रयोगशाला बनाना।
- ☆ कृषक समुदाय को कृषि प्रणाली, कृषि संसाधन और कृषि-दुग्ध उत्पाद विपणन के विश्वस्तरीय अवसरों के समीप लाना और उन्हें उन विश्वस्तरीय अवसरों का लाभ उठाने के योग्य बनाने की रणनीति तैयार करना।

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध महाविद्यालयों/ संस्थानों के लिए प्रवेश नियम 2022–23

विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत पोर्टल पर सफल पंजीकरण के बिना प्रथम वर्ष का कोई भी प्रवेश मान्य नहीं होगा।

1. विश्वविद्यालय द्वारा नियत निर्देशानुसार महाविद्यालयों/स्ववित्तपोषित संस्थानों में प्रवेश और शिक्षण कार्य में प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

(क) प्रथमतः महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा योग्यता क्रम सूची के आधार पर बिना प्रवेश परीक्षा के किये गये सभी प्रवेश विश्वविद्यालय के वेबसाइट www.ccsuweb.in पर ऑनलाईन सम्पुष्ट होने आवश्यक होंगे। महाविद्यालय अपने स्तर पर समस्त प्रवेशित अभ्यर्थियों के पत्रजात, उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित करायेंगे। ऐसे सत्यापित प्रवेश ही मान्य होंगे। अभ्यर्थी द्वारा भरा गया विवरण सत्यापित न होने की दशा में अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

(ख) प्रवेश,अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई ऑनलाइन योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जाँच पड़ताल कर महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा किये जायेंगे। प्रवेशार्थ मान्य कुल स्थानों में से 21 %, 2 % और 27% स्थान महाविद्यालयों/संस्थानों में और इसी प्रकार छात्रावासों में क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार आरक्षित होंगे। शारीरिक रुप से 40% या अधिक विकलांग (दृष्टिविहीन/कम दृष्टि, श्रवण ह्रास/पालन निशक्तता, अंग–भंग आदि) हेतु (कुल 4%) स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित 2 % और पूर्व–सेना कर्मियों या उनके आश्रितों को 1 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में क्षैतिज आरक्षण उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रदान किया जायेगा। यदि अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी प्रवेश के लिये उपलब्ध नहीं हैं तो उनके स्थान पर अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। छात्राओं को क्षैतिज आधार पर 20% का आरक्षण प्रदान किया जायेगा। 10% आरक्षण ई.डब्ल्यू.एस. के लिए लागू होगा।

(ग) विषय संयोजन आवंटित करने का अधिकार सभी नियमों का संज्ञान लेते हुए, महाविद्यालय के प्राचार्य/उनके द्वारा नामित प्रवेश समिति को ही होगा। विषय संयोजन आवंटित करने में महाविद्यालयों/संस्थानों को सीट उपलब्धता, सेक्शन की सीमितता, शिक्षक की उपलब्धता, अभ्यर्थी की अर्हता का संज्ञान लेकर ही ऑनलाइन सम्पुष्ट करने होंगे। किसी भी प्रकार की त्रुटियों के सम्बन्ध में 2 कार्यदिवस के अन्तर्गत प्राचार्य लॉगइन से संशोधन हो सकता है, किन्तु 2 कार्यदिवस के पश्चात् सूचित करने पर किसी भी तरह का संशोधन नहीं किया जायेगा। विषय संयोजन की सम्पुष्टि के पश्चात् विषय परिवर्तन भी मान्य नहीं होगा। ओपन मेरिट द्वारा बाद में प्रवेश लेने वाले, किन्तु योग्यताक्रम में श्रेष्ठ अर्ह अभ्यर्थी को उसके चयनित विषय, अनुपलब्धता की स्थिति में न मिलने पर महाविद्यालय/संस्थान दोषी नहीं होगा। महाविद्यालय अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे कि विषय संयोजन सीमित हो, जिससे रिक्त स्थान न शेष रहें।

आरक्षित स्थान हेतु, पंजीकृत अर्ह अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण स्थान रिक्त रह जाने पर, प्रवेश के लिए अनारक्षित श्रेणी के अर्ह अभ्यर्थियों से द्वितीय ओपन मैरिट (जो पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया के पश्चात् व पंजीकृत समस्त अप्रवेशित अर्ह अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है) में भरे जा सकते हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा छात्रावास में आवास, प्रवेश की अन्तिम तिथि तक आरक्षित रखे जायेंगे।

(घ) (i) अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के प्रवेश स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में निर्धारित सीटों का अधिकतम 25% सीमा तक ही होंगे। (व्यावसायिक पाठ्यक्रम में यह सीमा लागू नहीं होगी) परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि अर्हता परीक्षा में उनकी योग्यता उत्तर प्रदेश के सामान्य श्रेणी अभ्यर्थियों से कम न हो। यदि कोईअभ्यर्थी जो कि दूसरे राज्य का निवासी है, उत्तर प्रदेश के किसी महाविद्यालय/संस्थान से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर भी दूसरे राज्य की श्रेणी में ही रखा जायेगा।

(ii) प्रवेश सत्र 2022-23 में ट्रान्सजेन्डर के लिए भी प्रवेश मान्य होगा। किन्तु ट्रान्सजेन्डर के लिए कोई आरक्षण न होने के कारण पुरुष श्रेणी में ही मेरिट लिस्ट में माना जायेगा।

(ङ) (i) किसी भी सरकारी कर्मचारी एवं सार्वजनिक सेवा वाले कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री का प्रवेश, उनके माता–पिता के स्थानान्तरण के कारण सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान में स्थान होने पर माननीय कुलपति या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी की पूर्व अनुमति से स्वीकार्य होगा। यदि अभ्यर्थी पंजीकृत हो तो, ऐसे स्थानान्तरण केवल प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक माह के अन्तर्गत तक ही स्वीकार्य होंगे। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा फार्म भरने के बाद स्थानान्तरण स्वीकार नहीं होगा।

(ii) इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक महाविद्यालय/संस्थान से दूसरे महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण हेतु पूर्व महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्यो/निदेशकों के अनापत्ति पर द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सीट उपलब्ध होने पर दूसरे (जिस महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण चाहता है) महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/निदेशक के द्वारा विवेकानुसार प्रवेश स्थानान्तरण स्वीकृत किया जा सकेगा। यह सुविधा एक ही जनपद में स्थित महाविद्यालयों/संस्थानों के अभ्यर्थियों को अनुमति नहीं होगी।

(iii) किसी भी दशा में विद्यार्थियों का प्रथम वर्ष में स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

(iv) अन्य वि0वि0 के विद्यार्थियों को इस वि0वि0 से सम्बद्ध महाविद्यालय/ संस्थान में स्थानान्तरण प्रवेश हेतु महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य से अनापत्ति लेकर महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त विषयों की आख्या सहित विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराकर विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(v) ऐसे अभ्यर्थी, जो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डी.पी.टी., डिप्लोमा इन आर.डी.आई.टी. 60% अंकों से अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हैं, वे रिक्त सीटों के सापेक्ष कुल सीटों के 10% स्थानों पर बी.पी.टी. व बी.आर.डी.आई.टी. में लेटरल एन्ट्री द्वारा द्वितीय वर्ष के प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(vi) स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों/संस्थानों/पाठ्यक्रमों में प्रवेशित छात्रों का स्थानान्तरण अनुदानित महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों में नहीं किया जायेगा। व्यावसायिक महाविद्यालयों/संस्थानों/पाठ्यक्रमों में स्थानान्तरण विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति, महाविद्यालयों/संस्थानों की अनापत्ति व पृथक जनपद होने पर ही द्वितीय वर्ष या अधिक होने पर ही अनुमन्य होगा।

(च) जिन अभ्यर्थियों ने इण्टरमीडिएट की परीक्षा यू0पी0 बोर्ड, अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो। (जैसेः सी०बी०एस०ई०, आई०सी०एस०ई० आदि) उनके स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए मेरिट में इण्टरमीडिएट के सभी विषयों के प्राप्तांक जोड़े जायेंगे। स्नातक कक्षाओं में प्रवेश, बिना प्रवेश परीक्षा की स्थिति में, कुल सीटों का अधिकतम 50 प्रतिशत सीटें उन अभ्यर्थियों द्वारा भरी जा सकती है, जिन्होंने इण्टरमीडिएट की परीक्षा यू0पी0 बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो। (जैसेः सी०बी०एस०ई०, आई०सी०एस०ई० आदि), किन्तु उनके सभी विषयों के योग्यता प्राप्तांक उ0प्र0 बोर्ड के सम्बन्धित श्रेणियों के अभ्यर्थियों से कम नहीं होने चाहिए।

(छ) स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा में चार वर्ष के अन्तराल से ज्यादा अन्तराल होने पर प्रयोगात्मक विषयों की डिग्री को छोड़कर प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।

(ज) ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने एम.ए. की उपाधि प्राप्त कर ली है अथवा संस्थागत छात्र के रूप में एम.ए. में दो वर्ष का अध्ययन कर लिया है, उन्हें अन्य विषय में प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर एम.ए. प्रथम में प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी अन्य विषय में एम0ए0 करना चाहता है तो वह प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर व्यक्तिगत परीक्षार्थी के साथ परीक्षा दे सकता है।

(झ) ऐसे विद्यार्थी प्रथम वर्ष के उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के अधिकारी नहीं होंगे जिन्होंने हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा, मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण नहीं की होगी।

(ञ) योग्य/पात्र अभ्यर्थियों को हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा (सम्बन्धित विषय सहित) मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय सें उत्तीर्ण होनी चाहिए। तीन वर्ष से अधिक की स्नातक उपाधि अर्हता में उल्लिखित हो, तभी अनुमन्य होगी। विद्यार्थी प्रथम वर्ष में ऐसी स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए योग्य/पात्र नहीं होंगे, जिन्होंने 10+2+3 पद्धति (पैटर्न) के अन्तर्गत स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की होगी।

विशेष नोट :

मान्यता प्राप्त बोर्ड/(एन.आई.ओ.एस. व ए.आई.यू. पर उपलब्ध)/(यू.जी.सी. व ए.आई.यू. की वेबसाइट से उद्घृत) विश्वविद्यालय की सूची नियमावली के अन्त में दी गयी है।

1. ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कोई भी परीक्षा अमान्य बोर्डों/विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की है, इस विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए अर्ह नहीं हैं। निम्नलिखित अमान्य बोर्ड एवं विश्वविद्यालय के अतिरिक्त यदि किसी ऐसे ही बोर्ड एवं विश्वविद्यालय की जानकारी प्रवेश के समय या प्रवेश के पश्चात् संज्ञान में आती है तो उनका कोई भी विद्यार्थी छात्र प्रवेश के लिये अर्ह नहीं होगा।
2. महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश के समय एक सेक्शन में स्नातक स्तर पर सामान्यतः 60 अभ्यर्थियों के ही प्रवेश किए जाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में निर्गत शासनादेशों के आलोक में महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य यदि 1 (शिक्षक) :60 (विद्यार्थी) अथवा 1 (शिक्षक) : 80 (विद्यार्थी) के अनुपात में शिक्षक उपलब्ध हैं तो प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व मान्य व अतिरिक्त 20 सीट प्रति सेक्शन के अनुपात में सीट संख्या के सापेक्ष प्रति विषय उपलब्ध अनुमोदित शिक्षक की सूचना विश्वविद्यालय को देंगे, माननीय कुलपति जी द्वारा स्वीकृति होने के उपरान्त इन निर्धारित सीटों पर प्रवेश ऑनलाईन सम्पुष्ट किये जा सकते हैं। प्राचार्यों को न तो निर्धारित संख्या से अधिक और न ही निर्धारित तिथि के उपरान्त प्रवेश करने का अधिकार होगा और यदि वे ऐसा करते हैं तब उनके विरुद्ध शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही की जा सकती है। निर्धारित सीमा से अधिक प्रवेश शासनादेशों के अन्तर्गत कार्यवाही से आच्छादित रहेंगे तथा इसके लिए प्राचार्य ही उत्तरदायी होंगे।

3. ''शासनादेश संख्या–2555/सत्तर–2–2007–2(166)/2003 उच्च शिक्षा अनुभाग–2 दिनांक 25 जून, के अनुसार शैक्षिक सत्र 2007–08 के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु शैक्षिक सत्र 2006–07 में निर्गत शासनादेश संख्या–1678/ सत्तर–2–2006–2(166)/2003 दिनांक 23 मई, 2006 तथा शासनादेश संख्या–1870/ सत्तर–2–2000–2(166)/2003 उच्च शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 07 जून, 2006 तथा शासनादेश संख्या–3371/सत्तर–2–2006–2 (166)/2003 दिनांक 21 अगस्त, 2006 तथा शासनादेश संख्या–421/सत्तर–1–2015–16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 यथावत लागू माने जायेंगे।''

4. किसी भी विद्यार्थी को प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम वाले स्नातक/स्नातकोत्तर विषय में (इन्टीग्रेटिड पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी, वह विषय इण्टरमीडिएट/स्नातक स्तर पर नहीं लिया है। इसमें मनोविज्ञान प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम होते हुए भी अपवाद होगा, जिसके स्नातक स्तर पर यह विषय होना आवश्यक नहीं होगा।

किसी भी अभ्यर्थी को बी0ए0 में तीन साहित्यिक विषय अथवा तीन प्रयोगात्मक विषय अनुमन्य नहीं होंगे। किसी भी अभ्यर्थी को गणित के बिना सांख्यिकी में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यदि माध्यमिक शिक्षा में विज्ञान विषय न रहा हो तो स्नातक स्तर पर गणित, सांख्यिकी तथा अर्थशास्त्र के संयोजन का चयन करने पर बी0ए0 की उपाधि प्रदान की जाएगी।

Note : In case of National Institute of Open Schooling, New Delhi the Candidate must have passed Intermediate Examination with five subjects.

5. ऐसा अभ्यर्थी, जिसकी उपस्थिति शैक्षिक सत्र के प्रत्येक पाठ्यक्रम में पूरी हो किन्तु यदि वह परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है या अनुत्तीर्ण हो जाता है तो विश्वविद्यालय परीक्षा हेतु उसे संस्थागत विद्यार्थी के तौर पर महाविद्यालय/संस्थान में पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा। उसे सम्बन्धित परीक्षा एक पूर्व–विद्यार्थी

(Ex-student) के रूप में ही उत्तीर्ण करनी होगी। ऐसे विद्यार्थी जिसने विश्वविद्यालय परीक्षा का फार्म नहीं भरा होगा, उसे पूर्व विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

6. अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी तरह के भारांक का दावा करने पर वरीयता सूची को आंकने के लिए प्रवेश के समय निम्नलिखित भारांक (Weightage) दिए जायेंगे–

(अ) मेरिट प्रतिशत में 4 अंको का अधिभार चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के (स्नातक/परास्नातक) छात्रों के लिए।

(ब) मेरिट प्रतिशत में 4 अंको का अधिभार चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय/सम्बद्ध कॉलेजों के शिक्षकों/कर्मचारियों के (पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति) के लिए।

(स) मेरिट प्रतिशत में 2 अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने परास्तातक विषय में प्रवेश हेतु सम्बन्धित विषय में स्नातक आनर्स के साथ उपाधि प्राप्त की हो।

(द) (i) मेरिट प्रतिशत में 3 अंको का अधिभार ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने NCC का "C" या "G-II" सर्टिफिकेट अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ प्राप्त किया हो।

अथवा

(ii) मेरिट प्रतिशत में 2 अंको का अधिभार ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने NCC का "B" या "G-I" सर्टिफिकेट अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ प्राप्त किया हो।

अथवा

(iii) मेरिट प्रतिशत में 3 अंको का अधिभार ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ–साथ राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.) के अन्तर्गत 240 घण्टों की सेवा की हो तथा 7/10 दिनों के 2 शिविरों में भाग लिया हो अथवा मैरिट प्रतिशत में 2 अंको का अधिभार उनके लिए जिन्होंने अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ 240 घण्टों की सेवा तथा 7/10 दिनों का एक शिविर किया हो अथवा मेरिट प्रतिशत में 1 अंक का अधिभार उनके लिए जिन्होंने 240 घण्टों की सेवा की हो या 120 घण्टों की सेवा तथा ऐसा 1 शिविर किया हो।

अथवा

स्काउटिंग में तथा रेंजर/रोवर गतिविधि में अर्हता कक्षा के दौरान भाग लेने वाले अभ्यर्थियों हेतु अधिभार निम्न प्रकार होगा–

(i) मेरिट प्रतिशत में 4 अंको का अधिभार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित होने पर।

अथवा

(ii) मेरिट प्रतिशत में 3 अंको का अधिभार, राज्यपाल द्वारा सम्मानित होने/निपुण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

अथवा

(iii) मेरिट प्रतिशत में 2 अंको का अधिभार, तृतीय सोपान/गुरूपद/प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

अथवा

(iv) मेरिट प्रतिशत में 1 अंक का अधिभार, द्वितीय सोपान/ध्रुवपद परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

7. 5 प्रतिशत स्पोर्ट्स कोटा ऑनलाइन पंजीकृत छात्रों के उचित शारीरिक दक्षता परीक्षण के पश्चात् जी.ओ. नं. एफ. 14–3/85 (सी.पी.), दि. 24.04.1985 के क्रम में कुलपति जी के आदेश से सीट सीमा के अन्तर्गत प्रदान किया जा सकता है एवं ऐसे अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा देकर 5 प्रतिशत स्पोर्ट्स
कोटा के स्थानों पर प्रवेश हेतु पाठ्यक्रमवार (व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर) अर्ह हो सकते हैं। किसी भी स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा
निर्धारित अवधि में महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा समाप्त करनी आवश्यक होगी। जिन्होंने अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ भारतीय विश्वविद्यालय संघ (A.I.U.)अथवा भारतीय ओलम्पिक संघ (I.O.A.) द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/प्रदेशीय/अन्तर्विश्वविद्यालयीय स्तर पर खेलों में भाग लिया हो अथवा SAI
(Sports Authority of India) द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त प्रमाण–पत्र धारक हो।

नोट – (i) किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को मेरिट प्रतिशत में अधिकतम 8 अंको तक का अधिभार ही देय होगा, (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कर्मचारी
के पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति को मेरिट प्रतिशत में अधिकतम 12 अंको तक का अधिभार दिया जा सकता है)

(ii) किसी अधिभार के आधार पर द्वितीय श्रेणी प्राप्त छात्र, प्रथम श्रेणी छात्र से और तृतीय श्रेणी प्राप्त छात्र, द्वितीय श्रेणी प्राप्त छात्र से उच्चतर प्राथमिकता
प्राप्त नहीं कर सकेगा अर्थात् प्राथमिकता पर अधिभार अंकों का कोई प्रभाव नहीं होगा।

8. कोई भी विदेशी अभ्यर्थी किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा किसी पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश का पात्र नहीं होगा जब तक कि सम्बन्धित जनपद के पुलिस
अधीक्षक द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान न कर दिया जाये। विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में विदेशी विद्यार्थी व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह नहीं माने जायेंगे।

9. इस विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किसी अन्य मान्य विश्वविद्यालय से 10+2+3 या 11+1+3 पैटर्न की परीक्षा पूर्ण करने के बाद दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर चुका या 10+2 या 11+1 पैटर्न की परीक्षा पूर्ण करने के उपरान्त तीन वर्षीय/चार वर्षीय स्नातक उपाधि के पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष उत्तीर्ण कर चुका अभ्यर्थी क्रमशः द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष/चतुर्थ वर्ष में प्रवेश ले सकता है, प्रतिबन्ध यह होगा कि वह इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के समान दो वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष और तीन वर्षीय/चार वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष के समतुल्य पाठ्यक्रम पढ़ चुका हो। पाठ्यक्रम का सामंजस्य एलएल.बी. के प्रकरण में स्वीकार्य नहीं होगा। यह प्रवेश नियम 10 के मान्य होने की स्थिति के
अधीन होगा।

10. एम.एससी. एम.ए. भूगोल, गृहविज्ञान, संगीत और चित्रकला में योग्यताक्रम के आधार पर प्रवेश हेतु निर्धारित विषयों में प्रवेश के लिए नियम अतिरिक्त होंगे–

(I) महाविद्यालय/संस्थान विषय के लिए निर्धारित सीटों से अधिक छात्रों को प्रवेश नहीं देंगे।

(ii) एम.एससी. और एम.ए. में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता यथास्थिति बी.एससी./बी.ए. में उपर्युक्त वर्णित नियमों के अनुसार द्वितीय श्रेणी के साथ
सम्बन्धित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने अपेक्षित हैं। उपर्युक्त वर्णित न्यूनतम योग्यता सीमाएँ एस.सी./एस.टी. के अभ्यर्थियों के लिए मान्य
नहीं होंगी, उनके लिए उत्तीर्ण होना ही पर्याप्त होगा किन्तु प्रवेश योग्यताक्रमानुसार ही होंगे।

(iii) प्रस्तर (ii) पर दिये गये विषयों से अलग **एम.ए. के ऐसे विषय जिनमें प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम नहीं हैं एवं एम.एससी (गणित) में प्रवेश हेतु द्वितीय श्रेणी या न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।** उनके लिए उत्तीर्ण होना ही पर्याप्त होगा किन्तु प्रवेश योग्यताक्रमानुसार ही होंगे।

(iv) एम.एससी. और एम.ए. (प्रयोगात्मक विषय) में प्रवेश के लिए चुने गये विषय का स्नातक स्तर पर मुख्य विषय के रूप में होना आवश्यक है। सहायक (Subsidiary) विषय मान्य नहीं होगा। एम.एससी. सांख्यिकी हेतु प्रवेश के लिये स्नातक स्तर पर गणित/सांख्यिकी विषय होना अनिवार्य है परन्तु एम.ए. प्रयोगात्मक विषयों में उपर्युक्तानुसार अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या स्वीकृत सीटों से कम होने की स्थिति में सहायक (Subsidiary) विषय मान्य होंगे। एम0एस–सी0 बायोइन्फोरमेटिक्स (Bioinformatics) में प्रवेश हेतु स्नातक बायोलोजी ग्रुप/बायोटैक्नोलोजी/कम्प्यूटर सांइस/गणित/ सांख्यिकी/ माइक्रोबाइलोजी/बी0एम0एल0टी0/बी0एस–सी0 कृषि में 50% अंक आवश्यक होंगे।

(v) एम0एस–सी (गणित) में प्रवेश हेतु बी0सी0ए0, बी0टेक0(मैकेनिकल, कम्प्यूटर साइंस, इंफोरमेशन टेक्नोलोजी, इलेक्ट्रोनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स) उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पात्र होंगे किन्तु उनकी योग्यता सूची 5 प्रतिशत अंकों की कटौती करके बनायी जायेगी। बी0एस–सी0 (गणित) के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(vi) एम0ए0 के भाषा सम्बन्धी विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत) में प्रवेश के लिये स्नातक स्तर पर वहीं विषय मुख्य विषय के रूप में होना आवश्यक है।

(vii) एम0ए0(अर्थशास्त्र) में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर बी0बी0ए0/बी0सी0ए0/बी0ए0 (गणित)/बी0एस–सी0 (गणित)/ बी0कॉम0 अथवा 10+2 में गणित उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पात्र होगा। किन्तु इन अभ्यर्थियों की योग्यता सूची 5 प्रतिशत अंक की कटौती के पश्चात जारी की जायेगी। बी0ए0 (अर्थशास्त्र) के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(viii) एम.ए. गैर प्रायोगिक विषय (इतिहास, राजनीति विज्ञान, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, सैन्य अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र) तथा मनोविज्ञान के प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने स्नातक स्तर पर सम्बन्धित विषय में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है किन्तु अर्हता सूची के अनुसार अर्ह हैं, यदि प्रवेश हेतु आवेदन करता है तो योग्यता सूची तैयार करते समय अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से 5 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।

11. (i) बी.ए. में प्रवेश लेने वाले ऐसे अभ्यर्थी के, जिसने इण्टरमीडिएट विज्ञान, वाणिज्य और कृषि पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण किया है, अर्हता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत में से (योग्यता की गणना के लिए) कोई अंक नहीं घटाया जायेगा।

(ii) इण्टरमीडिएट परीक्षा व्यवसायिक पाठ्यक्रम के साथ उत्तीर्ण करने की स्थिति में बी.कॉम, बी.ए., अथवा बी.एस–सी. में प्रवेश के लिए मेरिट में केवल लिखित परीक्षा के दो तिहाई प्राप्तांक तथा प्रयोगात्मक विषयों के एक तिहाई प्राप्तांक जोड़े जायेंगे।

12. (i) विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग तथा गलत आचरण करने वाले किसी दोषी घोषित अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ii) ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हिस्ट्रीशीटर हो या नैतिक पतन के किसी अपराध अथवा किसी आपराधिक मामले में सम्मिलित हो, विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि प्रवेश दे दिया गया है तो बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।

(iii) किसी भी महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक को किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश या पुनः प्रवेश महाविद्यालय/संस्थान में अनुशासन बनाये रखने के हित में बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।

(iv) किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश नियमों के विरूद्ध होने पर अथवा गलत तथ्यों के आधार पर होने की स्थिति में माननीय कुलपति/प्राचार्य द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

(v) अनुशासन मण्डल के अनुसार रैगिंग करने या वातावरण को दूषित करने अथवा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध दुर्व्यवहार या दूषित वातावरण उत्पन्न करने का दोषी पाये गये किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा उसका प्रवेश हो जाने पर भी बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता हैं।

(vi) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी :

"If any incident of ragging comes to the notice of the authority, the concerned student shall be given liberty to explain, and if his explanation is not found satisfactory, the authority would expel him from the institution."

(vii) कोई भी विद्यार्थी जिसे एक संस्थागत विद्यार्थी के रूप में सात साल हो चुके हैं, बी.एड., बी0पी0एड0, एम.एड., एम0पी0एड0., एलएल.एम. व्यावसायिक
स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य कक्षा / पाठ्यक्रम में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा।

13. (i) बी.एड./बी.पी.एड. और एम.एड./एम.पी.एड. की कक्षाओं में प्रवेश राज्य सरकार और एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित नियमों के आधार पर किया जायेगा। प्रवेश के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के नियम बी.एड., एम.एड. के विद्यार्थियों पर भी लागू होंगे।

(ii) इण्टरमीडिएट परीक्षा व्यवसायिक पाठ्यक्रम के साथ उत्तीर्ण करने की स्थिति में बी.ए.(गृह विज्ञान) बी.एससी. (कृषि) से चार वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है। एम0एस–सी0 (कृषि) में प्रवेश योग्यताक्रम के आधार पर होगा।

14. ऐसा अभ्यर्थी, जो किसी अन्य महाविद्यालय/संस्थान से सम्बन्धित द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ है, इस विश्वविद्यालय में द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में प्रवेश के लिए स्वीकार्य नहीं होगा।

15. ऐसा अभ्यर्थी, जो कोई ओरियन्टल परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका है, वह किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए स्वीकार्य नहीं होगा, जब तक वह इस विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये अर्हता सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करता।

16. व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा किये जायेंगे। स्नातकोत्तर स्तरीय तथा स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा में क्रमशः 50 तथा 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य होगा। परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण (5 प्रतिशत छूट के साथ) छात्र प्रवेश हेतु पात्र होंगे।

17. ऐसा अभ्यर्थी, जिसने स्नातक परीक्षा एकल वर्ष में 1998 के बाद उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश के लिए योग्य नहीं माना जाएगा।

18. यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उसे स्नातक स्तर पर एकल विषय में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा।

19. (I) अभ्यर्थी, जिसने उत्तर मध्यमा/शास्त्री परीक्षा, सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय में बी.ए. प्रथम/एम.ए. प्रथम (संस्कृत) में प्रवेश लेने योग्य माना जायेगा।

(ii) ऐसे अभ्यर्थी, जिसने शास्त्री परीक्षा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्य विश्वविद्यालय से 10+2+3 शिक्षा पद्धति के अन्तर्गत उत्तीर्ण की है एवं शासन द्वारा अधिकृत उत्तर प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न करायी गयी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से योग्यता प्रवेश की सूची में प्रवेश हेतु वह अभ्यर्थी बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अर्ह होगा। (समकक्षता समिति की बैठक 05.06.2004 में लिए गये निर्णयानुसार)।

बी.एड./बी.पी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह होगा (प्रवेश समिति की दिनांक 28.2.2009 को सम्पन्न हुई बैठक में लिये गये निर्णयनुसार)।

20. ऐसे अभ्यर्थी, जिसने कोई भी परीक्षा साहित्य सम्मेलन प्रयाग इलाहाबाद से उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान के किसी भी पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए प्रवेश लेने के योग्य नहीं माना जाएगा।

21. कोई भी अभ्यर्थी, जिसने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष या स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष व्यक्तिगत अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण किया है, संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होगा।

22. कोई भी अभ्यर्थी स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड, यू.पी. या अन्य किसी दूसरे बोर्ड से प्राप्त किसी डिप्लोमा के आधार पर योग्य नहीं समझा जायेगा। विश्वविद्यालय का कोई भी पूर्ववर्ती निर्णय ऐसे डिप्लोमा के बारे में निरस्त माना जायेगा।

23. कोई भी अभ्यर्थी किसी भी महाविद्यालय/संस्थान परीक्षा में बैठने के लिए अनुमत नहीं होगा, जब तक वह अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर उस परीक्षा में बैठने योग्य न हो। महाविद्यालय/संस्थान अस्थायी प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का परीक्षा फार्म बिना योग्यता परीक्षा का परिणाम जाने विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं करेगा।

24. कोई भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय परीक्षा में तब तक नहीं बैठ पायेगा, जब तक वह परिनियमों में वर्णित न्यूनतम निर्धारित उपस्थिति पूरी न करता हो।

25. परीक्षा सुधार (पुनः परीक्षा) में बैठने योग्य अभ्यर्थी का उसी उपाधि की अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश स्वीकार्य होगा और वह परीक्षा सुधार परीक्षा के साथ अगले साल की परीक्षा देगा। यदि किसी कारण से अभ्यर्थी पुनः परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो उसका अस्थायी प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और उसे सभी विषयों में पूर्व विद्यार्थी के रूप में परीक्षा पुनः देनी होगी। स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

26. यदि कोई अभ्यर्थी कृपांक की सहायता से परीक्षा उत्तीर्ण करता है या उसकी श्रेणी सुधरती है तो वह नियमानुसार देय लाभ का अधिकारी होगा (किन्तु मेरिट सूची में इसका प्रभाव मान्य नहीं होगा)।

27. आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी यदि उच्चतर योग्यता के कारण सामान्य श्रेणी में प्रवेश के लिए चुन लिया जाता है तो उस श्रेणी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कम नहीं होगी और नियमों की अज्ञानता उसके उल्लंघन का बहाना नहीं मानी जायेगी।
28. बी.एस.सी.(फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एण्ड स्पोर्ट्स विषय) विज्ञान संकाय के अन्तर्गत जीव विज्ञान विषय में 10+2 उत्तीर्ण छात्रों को क्रीड़ा
सम्बन्धी अभिलेखों के साथ 45 प्रतिशत अंक (सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग) व 40 प्रतिशत अंक (अनुसूचित जाति/जनजाति) होने पर ही दिया जायेगा।
29. स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रमों तथा बी.लिब आदि में प्रवेश 10+2+3 पैटर्न के अन्तर्गत ही किये जायेंगे। अतः 10+2+3 उत्तीर्ण छात्रों को ही उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिये जाये। जिस पाठ्यक्रम विशेष के लिये अर्हता सूची में उल्लिखित है, मात्र उसमें तीन वर्ष से अधिक की स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी अर्ह होंगे।
30. विश्वविद्यालय के समस्त पाठ्यक्रमों के प्रवेश में महिला अभ्यर्थियों को क्षैतिज (Horizontal) आधार पर 20% का आरक्षण प्रदान किया जायेगा।
31. विश्वविद्यालय के परिनियम के अध्याय IV के प्रस्तर 4 के अनुसार किसी भी विद्यार्थी को एक साथ दो पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी जब तक कि परिनियमों एवं अधिनियमों में ऐसा प्रावधान न हों।
32. B.Sc. Home Science (Clinical Nutrition & Dietetics) के लिए 10+2 में गृह विज्ञान आवश्यक है।
33. प्रवेश के सम्बन्ध में समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेशों का पालन किया जायेगा।
34. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के नियम विश्वविद्यालय परिसर तथा महाविद्यालयों/संस्थानों में एक समान पाठ्यक्रमों के लिए समान होंगे।
35. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रवेश समिति का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।
36. किसी भी गैर प्रायोगिक विषय में स्नातक अथवा परास्नातक स्तर पर प्रवेश के लिये अर्हता उपाधि से दो वर्ष से अधिक का अन्तराल अनुमत नहीं होगा।
37. यदि अभ्यर्थी उनके द्वारा चयनित महाविद्यालय/संस्थान की योग्यता सूची में नाम आने पर प्रवेश हेतु दिये गये समय के अन्तर्गत पत्रजातों सहित प्रस्तुत होकर प्रवेश सम्पुष्ट कराने में असमर्थ रहते हैं तो उन्हें रिक्त सीट शेष रहने की स्थिति में ही उस महाविद्यालय/संस्थान अथवा अन्य (जिसका चयन उन्होंने प्रवेश आवेदन भरते समय नहीं किया हो) महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश अन्तिम चरण में दिया जा सकता है। यदि प्रवेश सम्पुष्ट न होने का आधार उनके पत्रजातों का सत्यापित न हो पाना है तो उनमें त्रुटि संशोधन के पश्चात् उनका नाम पुनः योग्यता सूची में आ सकता है। किसी भी तरह की त्रुटि के संशोधन के लिए एक से अधिक बार आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
38. समय–समय पर विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा लिये गये निर्णय प्रवेश की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जायेंगे जो मान्य होंगे। शुल्क क्षतिपूर्ति के सभी नियम शासनादेशों से ही आच्छादित रहेंगे व समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति/शुल्क क्षतिपूर्ति से सम्बन्धित नहीं होंगे।
39. छात्रों का प्रवेश वरीयता क्रम में आरक्षण नियम आदि के अनुसार सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदर्शित व महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा प्रवेशित होगा। यदि दो अभ्यर्थियों का मेरिट इन्डेक्स समान होगा, तो इनके अर्हता कक्षा के अंक (अधिक) के आधार पर वह भी समान हो तो, अर्हता कक्षा से पूर्व (यथा स्नातक प्रवेश हेतु 10वीं बोर्ड) के अंक देखे जायेंगे, यह भी समान हों तो जन्मतिथि (अधिक आयु) के आधार पर व अन्ततः A, B, C, D प्रारम्भिक नामाक्षर के आधार पर वरीयता क्रम निर्धारित किया जायेगा।
40. अमान्य बोर्ड व विश्वविद्यालय की जानकारी यू.जी.सी./आई.जी.एन.ओ.यू. तथा एन.आइ.ओ.एस. की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

वित्त समिति तथा कार्य परिषद् द्वारा अनुमोदित शुल्क के लिए विश्वविद्यालय वेबसाइट www.ccsuniversity.ac.in में देंखे।

Eligibility Criteria

M.Sc. (Ag.) Programme

1. 2. 3. 4. 5. 6.	Horticulture Agronomy Agricultural Botany Agricultural Economics Agricultural Extension Dairy Science & Technology	Four years Bachelor's Degree in Agriculture with 50% marks in aggregate.

M.A. Programme

1. 2. 3. 4.	Hindi Economics Sociology Political Science	Bachelor's Degree (with the concerned subject as one of the main subjects). For SC/ST candidates relaxation upto 33% marks in aggregate and in subject, (i) For admission to M.A. (Economics), candidates having B.A./B.Sc. degree with Mathematics as one of the main subjects, or at 10+2 level, or those with B.B.A/B.Com/ B.C.A. degree, are also eligible, (ii) Political Science & Sociology candidates with BA in other subjects or from other 3-year bachelor's degree can also apply with 5% deduction in marks.

Programmes in Education

1.	B.P.Ed.	Bachelor's degree with physical education as an elective subject with 50% marks; or Bachelor's degree with physical education as an elective subject with 45% marks and participation in National/State/Inter University competitions in sports or games or athletics recognized by Association of Indian Universities or Indian Olympic Association; or Bachelor's degree with 45% marks and having participated in National/State/Inter University sports or games or athletics. For deputed in-service candidates (i.e. trained physical education teachers/coaches) -Graduation with 45% marks and at least 3 years of teaching experience. A relaxation of 5% marks in eligibility qualification shall be provided to candidates belonging to SC/ST/OBC categories. Admission to B.P.Ed, will be based on physical fitness test, Academic & weightages.

M.Sc. Programme

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Botany Chemistry Microbiology Physics Statistics Zoology Bio-Informatics	B.Sc. Degree (with the concerned subject as one of the main subject) with 45% marks in aggregate and 50% marks in the subject (For calculating the percentage in the subject. (I) For admission to M.Sc. (Statistics), candidates having B.A./B.Sc. Degree with Statistics/Mathematics are eligible, (ii) For admission to M.Sc. (Statistics), candidates having B.A./B.Sc. Degree with Chemistry, Botany and Zoology/B.M.L.T./B.Pharma/B.V.Sc./M.B.B.S. are also eligible, (iii) For admission to M.Sc. (Physics), candidate having B.Sc. degree with Physics and Mathematics along with Statistics are also eligible.

Programmes of Study		Minimum Eligibility Criteria
M.Sc./Master's Programmes		
1.	M.Sc. Bio-Informatics	Bachelor's degree with Biology group(CBZ)/Biotechnology/ Computer Science/Mathematics/Statistics/Microbiology/ BMLT/B.Sc. Ag. With 50% marks.
Bachelor's Programmes		
1.	B.A. (Arts Group)- Hindi, English, Economics, History, Political Science, Sanskrit, Sociology,Geography Library & Information Science	10+2 with 33% marks. Two-third theory marks and one-third practical marks of candidates with vocational course will be considered in non practical courses. नोट :– इण्टरमीडिएट परीक्षा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ उत्तीर्ण करने की स्थिति में बी०कॉम, बी०ए० अथवा बी०एस–सी० में प्रवेश के लिए मेरिट में लिखित परीक्षा के दो तिहाई प्राप्तांक तथा प्रयोगात्मक विषयों के एक तिहाई प्राप्तांक जोड़े जायेंगे।
2.	B.Sc. (Bio group) BCZ., CGP/G BC Industrial Microbiology.	1 0+2 with 33% marks (Biology)

नोट :–

1. प्रवेश प्रक्रिया में यदि अधिक दिन लगते हैं अथवा किसी अन्य कारणवश 180 दिन में से कुछ शिक्षण दिवस कम होते हैं तो उतने शिक्षण दिवसों की पूर्ति अतिरिक्त कक्षायें लगाकर की जायेगी।
2. शोक सभायें विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थानों में केवल कार्यरत शिक्षक/कर्मचारी के निधन पर अपराह्न 3.00 बजे होगी। अपरान्हन 3.00 बजे तक कक्षायें यथावत चलेंगी।
3. प्रवेश नियमावली में उद्धृत नियमों का पालन पूर्व की भाँति ही लागू किया जाये।
4. परीक्षा फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि को यदि किसी कारणवश अवकाश घोषित हो जाता है तो उक्त दशा में अगला कार्य दिवस स्वीकार किया जायेगा।
5. जिन महाविद्यालयों की सम्बद्धता दिनांक 30.06.2018 को समाप्त हो रही है, उनके सम्बद्धता के विस्तारण की कार्यवाही शीघ्र अतिशीघ्र करा ली जाये। यदि किसी कारणवश किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता का विस्तारण निर्धारित समय में नहीं हो पाता है, तो ऐसे महाविद्यालयों/संस्थानों के छात्र/छात्राओं की परीक्षायें कराया जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।
6. विश्वविद्यालय का परीक्षाफल तथा अन्य कार्यक्रम वेबसाइट www.ccsuniversity.ac.in पर उपलब्ध कराया जायेगा।
7. बैक पेपर में अर्ह विद्यार्थियों को अगली कक्षा में औपबन्धिक रूप से प्रवेश दिया जायेगा। यदि बैक पेपर की परीक्षा में छात्र अनुत्तीर्ण घोषित हो जाते हैं तो उनके परीक्षा फार्म तद्नुसार निचली कक्षा में स्वतः परिवर्तित कर दिए जायेंगे।
8. स्नातकोत्तर कक्षाओं में आन्तरिक मूल्यांकन एवं परीक्षा सम्बन्धी वे समस्त नियम परिनियम लागू किये जायेंगे जो विश्वविद्यालय द्वारा सेमेस्टर प्रणाली के लिए स्वीकृत किये गये हैं।

कुल सचिव

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुक्रम में प्रवेश सम्बन्धी दिशा-निर्देश

National Education Policy 2020 : Guidelines for Admission

उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य/निजि विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 की अनुशंसा के अनुरूप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्रा 2021-22 से लागू किये जाने के संबंध में उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या 1065/सत्तर-3-2021-16(26)/2011 दिनांक 20 अप्रैल 2021 एवं पत्र संख्या 1567/सत्तर-3-2021-16(26)/2011 टी०सी० लखनऊ, दिनांक 13 जुलाई 2021, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 25.06.2021 को जारी परिपत्र तथा इस सम्बन्ध में समस-समय पर जारी अन्य शासकीय निर्देशों के आधार पर चौधर चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के माननीय कुलपित जी द्वारा गठित टास्क फोर्स समिति द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश सम्बन्धी तथा अन्य सम्बन्धित विषयगत बिन्दुओं के सन्दर्भ में प्रथम/मानक दिशा-निर्देश (गाइडलाइन) प्रस्तावित किए जा रहे हैं। सामयिक आवश्यकता तथा शासकीय निर्देशों के अनुसार भविष्य में इस गाइडलाइन का संशोधित प्रारूप भी जारी किया जा सकता है अथवा किसी मामले में अलग से अधिसूचना जारी की जा सकती है।

1. पाठ्यक्रम/कार्यक्रम लागू करने की समय-सारिणी :-

- ❒ यह व्यवस्था तीन विषय वाले बी०ए०, बी०एस-सी०, बी०कॉम० पर सत्र 2021-22 में प्रवेशित छात्रों पर लागू होगी। अन्य सभी पाठ्यक्रमों में शासन के निर्देशों के आने पर सत्र 2022-23 से लागू होगी।

2. प्रवेश की व्यवस्था :-

- ❒ सत्र 2021-22 में विद्यार्थी को स्नातक में प्रवेश के समय सर्वप्रथम विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में एक सिंकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा। विज्ञान संकाय का चयन करने पर अभ्यर्थी को पुनः पूर्व निर्देशित अर्हतानुसार अपने वर्ग (Bio/Maths/Stats etc.) का चुनाव करना होगा जिसका आवंटन मेरिट, सम्बन्धित महाविद्यालय में उपलब्ध सीट संख्या एवं संसाधनों पर निर्भर होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own Faculty) कहलायेगा, जिसमें वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेसटर) तक अध्ययन कर सकेगा।
- ❒ पूर्व व्यवस्था की तरह विद्यार्थी को कुल तीन मुख्य विषयों का अध्ययन करना होगा, जिनमें दो मुख्य विषय उसके चुने हुए संकाय के होंगे तथा तीसरा मुख्य विषय वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से ले सकता है, जिसका आवंटन मेरिट, सम्बन्धित महाविद्यालय में उपलब्ध सीट संख्या एवं मानव संसाधनों पर निर्भर होगा। इस व्यवस्था के लिए संकायों का निर्धारण शासनादेश जून 15, 2021(http://uphed.gov.in/Council/GOneeti.aspx) के अनुसार होगा।
- ❒ विद्यार्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में उपलब्ध सीटों/शिक्षकों/संस्थानों/नियमों के आलोक में द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।
- ❒ छात्र को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।
- ❒ तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी को एक गौण (माइनर इलैक्टिव पेपर) का अध्ययन करना होगा। इस पेपर का चुनाव भी वह अपने संकाय अथवा दूसरे संकाय से कर सकता है। इसके लिए उसे किसी पूर्व पात्रता (prerequisite) की आवश्यकता नहीं होगी। स्नातक के विद्यार्थी को प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में मात्र दो गौण प्रश्नपत्रों (माइनर इलैक्टिव पेपर) का अध्ययन करना होगा।
- ❒ बहुविषयकता (Multidisciplinarity) सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर माइनर इलैक्टिव पेपर सभी छात्रों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गये तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) से लेना होगा।
- ❒ तीसरे मुख्य (मेजर) विषय तथा गौण चयनित पेपर (माइनर इलैक्टिव पेपर) का चयन छात्र को इस प्रकार करना होगा कि इनमें से कोई एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय (Other Faculty) से हो।

- ❒ कोई विद्यार्थी एक माइनर इलैक्टिव पेपर स्नातक प्रथम वर्ष अथवा द्वितीय सेमेस्टर में से तथा दूसरा माइन इलैक्टिव पेपर द्वितीय वर्ष के तृतीय अथवा चतुर्थ सेमेस्टर में ले सकता है अर्थात् विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलैक्टिव पेपर का चुनाव कर सकता है।
- ❒ विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर इलैक्टिव पेपर आवंटित किया जायेगा।
- ❒ प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्ष(चार सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट (3X4=12) क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम का एक रोजगारपरक/कौशल विकास पाठ्यक्रम (Vocational/Skill Development Course) पूर्ण करना होगा।
- ❒ स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को तीन वर्षों (छः सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेसटर में एक सह-पाठ्यक्रम (Co-curricular) करना अनिवार्य होगा।
- ❒ इन सभी सह-पाठ्यक्रमों को 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करना होगा। विद्यार्थी की ग्रेड शीट पर इनके प्राप्तांकों पर आधरित ग्रेड तो अंकित होंगे, परन्तु उन्हें सी०जी०पी०ए० (CGPA) की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। इन पेपर्स की परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा multiple choice questions पर आधारित होगी।

3. कक्षाओं हेतु समय सारिणी :-

- ❒ सभी महाविद्यालयों/शिक्षण संस्थान प्रवेश प्रारम्भ होने से पूर्व समय-सारिणी (Time-Table) तैयार कर लें। जिससे छात्र प्रवेश के समय अन्य संकाय के उन विषयों का चुनाव कर सकें जिनकी कक्षाएँ अलग समय पर संचालित होती हैं ताकि उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो।
- ❒ सभी शिक्षण संस्थान समय-सारिणी (Time-Table) ऐसा तैयार करें कि छात्रों को अन्य संकाय के विषयों को चुनने के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हो।
- ❒ तीसरे मुख्य विषय तथा चयनित गौण पेपर (Minor Elective Paper) की कक्षाओं के लिए कोई एक ही वादन (Period) समय-सारिणी में निर्धारित किया जाए जिससे कि सभी विद्यार्थी सुविधापूर्वक अपने-अपने चयनित विषयों का अध्ययन कर सकें। इसी प्रकार इन विषयों की आन्तरिक परीक्षाओं तथा आन्तरिक मूल्यांकन के लिए एक ही तिथि निर्धारित की जाये।

4. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रिया :-

- ❒ विद्यार्थी को एक वर्ष (दो सेमेस्टर) पूर्ण करने पर सर्टीफिकेट के साथ निकास तथा दो वर्ष (चार सेमेस्टर) पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी। विद्यार्थी को निर्गत सर्टीफिकेट अथवा डिप्लोमा पर उसके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार परक प्रशिक्षण (Vocational) पाठ्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।
- ❒ विद्यार्थी को तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) पूर्ण करने पर ही डिग्री प्राप्त होगी।
- ❒ विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर पर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमानुसार पुनः प्रवेश ले सकेगा।

5. क्रेडिट एवं क्रेडिट निर्धारण :-

- ❒ सैद्धान्तिक (Theory) के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 13-15 घंटे का शिक्षण कार्य कराना होगा।
- ❒ प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 26-30 घंटे का प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा।
- ❒ विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर दो वर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर तीन वर्षय स्नातक डिग्री ले सकता है। इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चार वर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यमनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी०जी०डी०आर० ले सकता है।

- एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात् विद्यार्थी उनके क्रेडिट का उपयोग नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त कर लेता है तो उसके क्रेडिट उपभोग कर लिए माने जायेंगे अर्थात् उसके ये क्रेडिट डिप्लोमा अथवा डिग्री के लिए उपयोग नहीं किये जा सकेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है तो यह या तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (Surrender) कर 46 क्रेडिट खाते में रि-क्रेडिट करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुन: जमा करेगा, जिसके आधार पर व द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46+ 46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।
- यदि कोई योग्य छात्र (Fast Learner) कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर उसे अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान या विषय परिवर्तन की स्थिति में वह किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतन्त्र होगा।
- द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे न कि डिप्लोमा की, क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।
- तीन वर्षों में विद्यार्थी जिस संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी और विश्वविद्यालय में नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।
- यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत, यथा-112 का 60 अर्थात् 67 क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन (B.L.E.) की छिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय की पूर्व पात्रता (Pre-Requisite) की आवश्यकता नहीं होगी। सामान्यत: इस श्रेणी में कला संकाय के ऐसे विषय आयेंगे जिनमें प्रयोगात्मक कार्य अनिवार्य नहीं हैं।
- यदि कोई योग्य छात्र सर्टीफिकेट/डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट पुन: जमा (Re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह रि-क्रेडिट किए गए क्रेडिट का उपभोग कर पुन: सर्टीफिकेट/डिप्लोमा कर सकता है।

6. उपस्थिति एवं क्रेडिट निर्धारण :-

- क्रेडिट वैलिडेशन के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।
- परीक्षा देने के लिए पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।
- छात्र कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता है तो, वह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुन: कक्षाओं में उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है।

7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के सन्दर्भ में विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधाएँ :-

- विद्यार्थी यू०जी०सी०/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पोर्टल/संस्थानों से 20 प्रतिशत तक क्रेडिट ऑनलाइन कोर्स/पेपर के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। विश्वविद्यालयीन व्यवस्था के दृष्टिगत ऑनलाइन पेपर चयनित करने की यह सुविधा माइनर इलैक्टिव पेपर्स के लिए छूट पर ही लागू होगी। यू०जी०सी० के नियमों के अनुसार ऑनलाइन कोर्स के क्रेडिट सभी महाविद्यालयों/विश्वविद्याल परिसर को जोड़ने होंगे।
- विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार टिकट के अन्य शिक्षण संस्थान से किसी विशेष विषय के अध्ययन की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य की जा सकती है। इस सुविधा का लाभ विद्यार्थियों को प्रदान करने के लिए सम्बन्धित महाविद्यालय पारम्परिक रूप से अनुबन्ध हस्ताक्षरित करते हुए उसकी एक प्रति सूचनार्थ विश्वविद्यालय को भेजेंगे।

8. **परीक्षा व्यवस्था :-**

- ❒ सभी विषयों के प्रश्न पत्र 100 अंको के होंगे, जिनको क्रेडिट एवं फार्मूला के अनुसार परसेन्टाइल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा।
- ❒ सभी विषयों की परीक्षा 100 में से 25 अंको के लिए सतत् आन्तरिक मूल्यांकन एवं 75 अंकों के लिए बाह्य मूल्यांकन के आधार पर ही सम्पन्न की जायेगी।
- ❒ 25 अंकों के आन्तरिक मूल्यांकन पाठ्यक्रमों में वर्णित व्यवस्था के अनुसार होगा।
- ❒ असाइनमेन्ट तथा क्लॉस टेस्ट की उत्तर पुस्तिकाओं को महाविद्यालय द्वारा परीक्षा परीणाम घोषित होने के कम से कम दो माह आगे तक सुरक्षित रखा जायेगा।
- ❒ सभी विषयों की लिखित परीक्षा होगी एवं अनिवार्य Co-Curricular विषय की परीक्षा बहुविकल्पीय आधार पर होगी।

9. **उपरोक्त शासनादेश के निर्देशानुक्रम में उक्त संरचना मूल और अनुप्रयुक्त विज्ञान, कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी विज्ञान, वाणिज्य, भारतीय एवं विदेशी भाषाएँ तथा कृषि संकायों पर लागू होगी। तत्क्रम में निम्न बिन्दओं पर भी प्रमुखता से ध्यान अपेक्षित है :-**

- ❒ स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए 46 संचित क्रेडिट के सापेक्ष तीन प्रमुख विषय, एक माइनर इलैक्टिव पेपर, दो सह-पाठ्यक्रम एवं दो व्यवसायिक पाठ्यक्रम होंगे। जिसे उत्तीर्ण करने पर Certificate in Faculty प्रदान किया जा सकता है।
- ❒ द्वितीय वर्ष 92 क्रेडिट संचित के सापेक्ष द्वितीय वर्ष में तीन प्रमुख विषय, एक माइनर इलैक्टिव पेपर, दो सह-पाठ्यक्रम एवं दो व्यवसायिक पाठ्यक्रम होंगे। जिसे उत्तीर्ण करने पर Diploma in Faculty प्रदान किया जा सकता है।
- ❒ तृतीय वर्ष तक 132 क्रेडिट संचित के सापेक्ष इस वर्ष में दो प्रमुख विषय, दो सह-पाठ्यक्रम तथा दो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे। जिसे उत्तीर्ण करने पर Bachelor in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी।
- ❒ प्रवेश, निकास एवं पुन: प्रवेश व्यवस्था के सम्बन्ध में गाइडलाइन विश्वविद्यालय द्वारा ही जारी की जायेगी। महाविद्यालय अपने स्तर से इस सम्बन्ध में निर्णय नहीं लेंगे।
- ❒ स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम दो वर्षों में कौशल विकास से सम्बन्धित पाठ्यक्रम का अध्ययन अनिवार्य होगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सूक्ष्म, लधु एवं मध्यम उद्योग विभाग के साथ एम०ओ०यू० हस्ताक्षर किया गया है, जिसके आलोक में विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों को समन्वय स्थापित करना होगा । इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा समयानुसार जारी किए जायेंगे।

10. **अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम (Co-Curricular) :-**

स्नातक स्तर पर अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रमों (Co-curricular) के अध्ययन-अध्यापन का क्रम सेमेस्टर के अनुसार निम्नवत् होगा-

- ❒ प्रथम सेमेस्टर - खाद्य, पोषण एवं स्वच्छता (Food, Nutrition and Hygiene)
- ❒ द्वितीय सेमेस्टर - प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (First Aid and Health)
- ❒ तृतीय सेमेस्ट - मानव मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Values and Environmental Studies)
- ❒ चतुर्थ सेमेस्टर - शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga)
- ❒ पंचम सेमेस्टर - विश्लेषणात्मक योग्यता एवं डिजिटल अवेयरनेस (Analytic Ability and Digital Awareness)
- ❒ षष्ठ सेमेस्टर - संचार कौशल एवं व्यक्तित्व विकास (Communication Skill and Personality Development)
- ❒ स्नातक स्तर के अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रमों (Co-curricular) के अध्ययन-अध्यापन के लिए शैक्षिक संसाधनों की व्यवस्था महाविद्यालय द्वारा की जायेगी।
- ❒ कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत किसी भी अभ्यर्थी को आवेदन पत्र भरने से पूर्व प्रवेश पोर्टल पर उपस्थित वीडियो और F/A Question देखकर अपनी शंकाएं दूर कर सकता है।
- ❒ कोविड-19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत किसी भी अभ्यर्थी को आवेदन पत्र भरने में समस्या आये तो प्रवेश पोर्टल पर दिये गये मोबाइल नम्बर से वीडियो कॉल के माध्यम से सम्पर्क कर समस्या का निवारण कर सकता है।

  10 प्रतिशत आरक्षण EWS के लिए लागू होगी।
- ❒ बी०ए०, बी०एस-सी०, बी०एस-सी०(कृषि प्रथम) में प्रवेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में होंगे।

नोट :- उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश शासन/विश्वविद्यालय/प्रवेश समिति द्वारा निर्गत आदेश प्रभावी होंगे।

।। आवश्यक सूचनाएँ ।।

1. विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए मुख्य व प्रयोगात्मक सभी प्रकार की कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति पृथक-पृथक अनिवार्य है।
2. विशेष परिस्थितियों में 5 प्रतिशत छूट प्राचार्य द्वारा तथा अतिविशिष्ट परिस्थितियों में 10 प्रतिशत छूट कुलपति द्वारा प्रदान की जा सकती है।
3. उपस्थिति की गणना महाविद्यालय में शिक्षण आरम्भ होने की तिथि से की जायेगी, चाहे प्रवेश किसी भी तिथि में लिया गया हो।
4. किसी भी विद्यार्थी को अपना अनुभाग बदलने के लिए प्रवेश अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। अनुभाग परिवर्तन किसी विशिष्ट परिस्थिति में ही सम्भव होगा, अन्यथा नहीं। एक अनुभाग से दूसरे अनुभाग में उपस्थिति स्थानान्तर करवाने का उत्तरदायित्व स्वयं विद्यार्थी का होगा।
5. अपनी उपस्थिति का पता प्रत्येक विद्यार्थी को माह के प्रथम सप्ताह में सम्बन्धित विषय के प्राध्यापक से ले लेना चाहिए।
6. प्रवेश के लिए कॉलिज प्रॉस्पैक्टस (विवरणिका) में दिये गये निर्धारित आवेदन पत्रों का ही प्रयोग करें।
7. आवदेन पत्र पर समस्त प्रविष्टियों को स्पष्ट रूप से अंकित करें।
8. प्रवेश के समय मूल पत्रों तथा उनकी एक सत्य प्रतिलिपि साथ लाना आवश्यक है। संलग्नक लगाते समय यह निश्चित कर लें कि संलग्नक प्रमाणित हों।
9. एक बार किसी विषय में प्रवेश के पश्चात् विषय परिवर्तन सम्भव नहीं होगा।
10. आवेदन पत्र पर फोटो गोंद(फैवीकोल) से भली भाँति चिपकाएँ। फोटो केवल रंगीन ही होना चाहिए। इलैक्ट्रोस्टेट फोटो मान्य नहीं है।
11. निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रवेश के लिए उपस्थित नहीं होने पर प्रवेश का अधिकार समाप्त हो जायेगा तथा किसी दूसरे योग्य प्रतिभाशाली प्रवेशार्थी को प्रवेश मिलेगा।
12. केवल रिक्त स्थान उपलब्ध होने तक ही प्रवेश सम्भव होगा। इसके बाद अन्तिम तिथि तक प्रवेश करने के लिए महाविद्यालय बाध्य नहीं होगा।

13. छात्रावास आदि महाविद्यालय की किसी भी सम्पत्ति को हानि पहुँचाने पर विद्यार्थी दण्ड का भागी होगा।

14. सभी प्रवेश अस्थाई होंगे। जाँच में तथ्य गलत पाये जाने अथवा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के नियमों का पालन न करने पर प्रवेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।

15. प्रवेश अधिकारी के प्रपत्र पर हस्ताक्षर होने के तुरन्त बाद विद्यार्थी को चाहिए कि चालान कटवाकर फीस जमा कर दें।

16. विद्यार्थी किसी भी प्रकार का वाहन परिसर के अन्दर नहीं लायेगा। सभी को वाहन स्टैण्ड पर खड़ा करना चाहिए।

17. प्रवेश मिलने के तुरन्त बाद प्रत्येक विद्यार्थी को अपना पहचान पत्र/परिचय पत्र बनवा लेना चाहिए। कॉलिज परिसर में कहीं भी किसी के द्वारा पूछने पर विद्यार्थी को अपना परिचय पत्र दिखाना आवश्यक है।

18. किसी भी विद्यार्थी द्वारा कोई धनराशि जमा करने का अर्थ यह नहीं है कि वह महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर चुका है।

19. प्रवेश तभी मान्य होगा जब प्रवेश अधिकारी द्वारा माँगे गये सभी प्रपत्र, चरित्र व स्थानान्तरण प्रमाण पत्र आदि जमा करा दें।

20. महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य होगा। खाली समय में वाचनालय, पुस्तकालय आदि में बैठकर स्वाध्याय करें। प्रांगण की सड़कों पर अध्यापन कक्षों के बाहर या अन्दर समूह में बैठकर अनावश्यक शोर मचाना आवंछित है।

21. महाविद्यालय प्रांगण में धूम्रपान करना, पान, तम्बाकू खाना तथा इधर-उधर थूकना व दीवारों को गन्दा करना अशिष्टता है तथा ऐसा करना दण्डनीय होगा।

22. महाविद्यालय की सभी छात्राओं को सभ्यता से कॉलिज की वेशभूषा सलवार, कुर्ता व चुन्नी पहनकर आना अनिवार्य है।

23. महाविद्यालय के सभी छात्रों को सलीके के साथ कॉलिज की वेशभूषा पेन्ट व कमीज पहनकर आना अनिवार्य होगा।

छात्रवृत्ति व शुल्क मुक्ति

1. **कृषि उत्पादन मण्डी समिति छात्रवृत्ति** - कृषि उत्पादन मण्डी समिति की ओर से महाविद्यालय के एम०एस-सी०(कृषि) के तीन छात्र व बी०एस-सी०(कृषि) के आठ छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गयी हैं। इसकी राशि 12000/- रुपये है। यह राशि योग्य व निर्धन छात्रों को प्रदान की जाती है।
2. **छात्र कल्याण निधि उत्तर प्रदेश** - उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा छात्र कल्याण निधि से प्रति वर्ष अनेक योग्यतम् एवं निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं।
3. **राष्ट्रीय छात्रवृत्ति** - प्रतिवर्ष कुछ राष्ट्रीय छात्रवृत्तियाँ राज्य सरकार के माध्यम से योग्यतम् छात्रों को मिलती हैं।
4. **विकलांग छात्रवृत्ति** - राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष एक विकलांग छात्र को शिक्षा सुचारू रूप से चलाने के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है।
5. अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सरकार से प्राप्त छात्रवृत्ति, पुस्तकीय सहायता तथा शिक्षण शुल्क सहायता वितरित की जाती है।
6. निर्धन छात्रों को महाविद्यालय के छात्र-सहायता कोष से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
7. खेलकूद में विशिष्टता प्राप्त छात्रों को विश्वविद्यालय के माध्यम से छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

एन०सी०सी० (राष्ट्रीय कैडेट कोर)

महाविद्यालय में एन०सी०सी० की एक कम्पनी है। जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 104 विद्यार्थियों को भर्ती किया जाता है। एन०सी०सी० में 'सी' सर्टिफिकेट प्राप्त कैडेट को सशस्त्र सेना तथा सरकारी सेवाओं के चयन में अधिभार मिलता है।

महाविद्यालय में एन०सी०सी० के लिए सभी सुविधा उपलब्ध है।

एन०एस०एस० (राष्ट्रीय सेवा योजना)

महाविद्यालय में कला, विज्ञान व कृषि संकायों में स्नातक स्तर पर एन०एस०एस० की चार इकाइयाँ हैं। लगभग 400 विद्यार्थियों को इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। लगभग 200 से अधिक विद्यार्थियों को कैम्प के लिए चुना जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम को सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर प्रतिवर्ष सर्टिफिकेट दिया जाता है। सेवाओं के चयन आदि में इनसे अंक (वेटेज) प्राप्त होते हैं।

रोवर्स / रेन्जर्स

महाविद्यालय में रोवर्स / रेन्जर्स टीम का प्रारम्भ 2003-2004 से प्रारम्भ किया गया। प्रत्येक टीम में 24-24 सदस्यों को चुना जाता है। जिनमें से लगभग 16 छात्र-छात्राओं को अर्न्तमहाविद्यालय समागम हेतु चयन किया जाता है।

छात्र कल्याण अधिष्ठाता (DSW)

महाविद्यालय में छात्र कल्याण अधिष्ठाता (DSW) द्वारा विद्यार्थियों को समय-समय पर नियमों व व्यवस्थाओं आदि के विषय में जानकारी व सुविधा प्रदान की जाती है। छात्र को कोई कठिनाई होने पर उनसे परामर्श करना चाहिए।

प्रोक्टोरियल बोर्ड

महाविद्यालय में योग्य चीफ प्रोक्टर की संयोजकता में प्राध्यापकों एवं छात्रों का एक प्रोक्टोरियल बोर्ड है जो हर पल सर्तकता के साथ महाविद्यालय में अनुशासन का प्रबन्ध कराता है। महाविद्यालय में शिक्षा का सौहार्द्र पूर्ण वातावरण बनाये रखने में इसका महत्पवूर्ण योगदान है। विद्यार्थी द्वारा अनुशासनहीनता करने पर दण्ड का भी प्रावधान है।

शैक्षिक भ्रमण

छात्रों एवं शिक्षकों हेतु विभिन्न विषयों से सम्बन्धित प्रदर्शनियों, शोध कार्यों, प्राकृतिक व ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल के भ्रमण के लिए महाविद्यालय समयानुसार प्रबन्ध करता है।

साहित्यिक-सांस्कृतिक परिषद्

महाविद्यालय में समय-समय पर वाद-विवाद, भाषण, निबन्ध, क्विज आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। अनुभवी प्राध्यापकों के सहयोग से छात्रों को अर्न्तविश्वविद्यालय एवं अर्न्तमहाविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए भी समय-समय पर प्रेरित किया जाता है। इस महाविद्यालय के छात्रों ने प्रतियोगिताओं में अनेक ट्राफियाँ भी जीती हैं।

कॉलिज पत्रिका

महाविद्यालय में वार्षिक पत्रिका 'प्रगति' का प्रकाशन होता है, जिसमें विद्यालय की वार्षिक प्रगति के साथ-साथ विद्यार्थियों व शिक्षकों द्वारा विभिन्न लेख, कविताएँ अत्यादि मौलिक रचनाएँ प्रकाशित की जाती है।

अनुसूचित जाति / जनजाति प्रकोष्ठ

महाविद्यालय में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं के सहायतार्थ प्रकोष्ठ स्थापित है। किसी भी प्रकार के उत्पीड़न पर अविलम्ब सम्पर्क करें।

कैरियर गाइडेन्स / प्लेसमेनट प्रकोष्ठ

महाविद्यालय के छात्रों के कैरियर मार्गदर्शन के लिए एक प्रकोष्ठ का गठन किया है जो छात्रों के मार्गदर्शन के लिए हमेशा तत्पर रहता है। पंजाब नेशनल बैंक, रिलायन्स फूड, हरियाली बाजार व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की कई संस्थाओं द्वारा महाविद्यालय में शिविर लगाकर छात्रों का चयन किया जाता है।

महिला प्रकोष्ठ

महाविद्यालय में छात्राओं के हितों के संरक्षण हेतु महिला प्रकोष्ठ है। छात्राओं को किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर तुरन्त प्रकोष्ठ संयोजक को सूचित करना चाहिए।

एन्टी रेगिंग प्रकोष्ठ

महाविद्यालय में रेगिंग पर प्रतिबन्ध है। उल्लंघन करने पर उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार कड़े दण्ड का प्रावधान है।

स्मृति स्वर्ण पदक

महाविद्यालय में अपनी कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान करने की व्यवस्था है।

चिकित्सा सुविधा

महाविद्यालय में लघु चिकित्सा केन्द्र स्थापित है। जिसमें एक अंशकालिक चिकित्सक की व्यवस्था है। शिक्षकों व छात्रों को आवश्यकतानुसार चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।

रेलवे शुल्क मुक्ति

दूर के विद्यार्थियों को अवकाश के समय घर जाने व वापस आने के लिए रेलवे शुल्क मुक्ति की सुविधा दी जाती है। इसके लिए चीफ प्रोक्टर के पास आवेदन देना होगा। तीसरे दिन ही रेलवे किराया रियायती पत्र प्राप्त कर सकेंगे।

छात्रा कक्ष

महाविद्यालय के प्राचीन भवन में छात्राओं को खाली समय में बैठने की समुचित व्यवस्था है। यहाँ उन्हें पत्र-पत्रिकाएँ भी उपलब्ध करायी जाती हैं।

खेलकूद व शारीरिक व्यायाम

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम अत्यावश्यक है। विभिन्न खेलों में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए क्रीड़ास्थल एवं व्यायामशाला की सुविधा है। प्रशिक्षण व अभ्यास के लिए प्रशिक्षकगण की व्यवस्था है। महाविद्यालय के खिलाड़ी विश्वविद्यालय स्तर पर सभी खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन व छात्रवृत्तियाँ भी मिलती हैं। अर्न्तविश्वविद्यालय एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्रों को कुलपति की विशेष अनुमति पर किसी भी कक्षा में योग्यता क्रम से हटाकर प्रवेश दिया जा सकता है। महाविद्यालय में एन.सी.सी. के लिए सभी सुविधा उपलब्ध है।

छात्रावास

महाविद्यालय के छात्रावास का संरक्षण योग्य एवं कुशल छात्रावास अधीक्षक के द्वारा किया जाता है। महाविद्यालय में बाहर के छात्रों को रहने की व्यवस्था के अनुरूप छात्रावास हैं जिनमें लगभग 150 छात्र रह सकते हैं। उनके लिए भोजनालय की भी व्यवस्था है जहाँ शुद्ध, सात्विक व शाकाहारी भोजन उपलब्ध है। छात्रावास के कमरों में पढ़ने के लिए अच्छा वातावरण, प्रकाश व पानी की अच्छी व्यवस्था है। प्रत्येक कमरे में छात्र के लिए उपयुक्त मेज, कुर्सी, चारपाई व पंखे की सुविधा है। दोनों छात्रावास सुरक्षित व पढ़ने वाले छात्रों को अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं। छात्रों के खेलने की भी उचित व्यवस्था है। 45 छात्राओं के लिए एक अत्याधुनिक महिला छात्रावास महाविद्यालय परिसर में उपलब्ध है।

नोट :- छात्रावास में प्रवेश हेतु छात्रावास अधीक्षक - डॉ० लोकेन्द्र कुमार सिंह (सह-आचार्य कृषि प्रसार विभाग)
9410684383 से सम्पर्क करें।

पुस्तकालय

आज के विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी के युग में समाज को अनेक क्रिया-कलापों के लिए सूचना तथा ज्ञान की आवश्यकता प्रारम्भ से हो रही है। अतीत के 500 वर्षों से लेकर आज तक समाज में सूचना की आवश्यकता तथा माँग निरन्तर बनी रही है और नित्य प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज के युग में ज्ञान विस्फो सूचना, उद्योग सूचना, समाज एवं सूचना क्रांति के रूप में प्रस्फुटित हो रहे हैं। ज्ञान एवं सूचना के उत्पादन, प्रचार-प्रसार तथा सम्प्रेषण में सूचनाओं एवं ज्ञान को संजोकर रखने में पुस्तकालयों ने हमेशा ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

आज के विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी के युग में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर बहुमुखी विकास तथा समृद्धि के लिए सूचना एक सशक्त और उपयोगी संसाधन माना गया है। जिसकी प्रभावशीलता एवं उपयोगिता हमेशा स्वीकार की गयी है। सूचना को जिस गति एवं संख्यात्मक दृष्टि से उत्पन्न किया जा रहा है उससे उसका संग्रह नियन्त्रण तथा प्रक्रियाकरण और प्रचार-प्रसार करना अत्यन्त जटिल कार्य हो गया है। पाठकों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों एवं ज्ञान ग्रहीताओं को प्रयोगार्थ एवं अध्ययनार्थ अवगत कराने एवं उन्हें सुलभ कराने के लिए एकमात्र प्रमुख साधन के रूप में पुस्तकालय ही है। पुस्तकालय जो आदिकाल से ही सूचनाओं का संग्रहगार रहा है।

महाविद्यालय में सभी सम्बन्धित विषयों की आधुनिकतम पुस्तकें पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। उनकी संख्या लगभग 102613 है। पुस्तकालय के वाचनालय में हिन्दी व अंग्रेजी के दैनिक समाचार एवं रोजगार समाचार पत्रों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की मासिक व वार्षिक शैक्षणिक पत्रिकाएँ एवं साप्ताहिक पत्रिकाएँ मंगाई जाती हैं। महाविद्यालय के अनेक विभागों में विभागीय पुस्तकालय हैं।

1. केवल नियमित विद्यार्थी ही इसका लाभ उठा सकते हैं। अत: अपना परिचय पत्र सदैव अपने पास रखें।
2. पुस्तकें पुस्तकालय कार्ड पर मिलेंगी। इस कार्ड को बनवाने के लिए प्रवेश की रसीद, एक फोटो व अपना परिचय पत्र लाना आवश्यक है। कार्ड खो जाने पर दोबारा नहीं बनाया जायेगा। अपना कार्ड कभी भी दूसरे विद्यार्थी को नहीं देना चाहिए।
3. पुस्तकें कक्षा, विषय व दिन के अनुसार निर्धारित समय पर दी जाती हैं। पुस्तकें लेते समय भलीं भांति देखकर लें, फटी पुस्तकें वापिस नहीं ली जायेगी।
4. पुस्तकों पर नोट लिखना, पन्ने फाड़ना अथवा मोड़ना आदि दण्डनीय अपराध है।
5. पुस्तकालय में मौन रहकर अध्ययन करना चाहिए।
6. उपर्युक्त नियमों के अतिरिक्त पुस्तकालय अधीक्षक द्वारा समय-समय पर जारी नियमों का अनुपालन करना होगा।

वार्षिक शुल्क का विवरण :

1. विश्वविद्यालय अथवा शासन द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जाता है।
2. निर्धारित शुल्क इण्डियन बैंक, बड़ौत में चालान के माध्यम से प्रवेश के समय ही जमा कराना होगा।
3. प्रतिभूति निक्षेप राशि कॉलिज छोड़ने के एक वर्ष के भीतर ही वापस देय होगी।

नोट :-

1. शुल्क केवल एक बार प्रवेश के समय लिया जायेगा।
2. औद्योगिक रसायन व औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान विषय लेने वाले बी०एस-सी० के विद्यार्थियों तथ एम०एस-सी०(कृषि) उद्यान विज्ञान, बी०पी०एड०, एम०एस-सी० सूक्ष्म जीव विज्ञान तथा जैव सूचनीकी स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम हैं। विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार ही इनके छात्रों को शुल्क देना होगा।

संकाय, विषय व स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर उपलब्ध सीट संख्या

संकाय	विषय	अनुमोदित सेक्शन/स्नातक	सेक्शन/ स्नातकोत्तर	अन्य
कला संकाय	राजनीति शास्त्र	3 सेक्शन	60 सीट	बी०ए० में अनुमोदित 6 सेक्शन हैं।
	समाज शास्त्र	3 सेक्शन	60 सीट	
	अर्थशास्त्र	2 सेक्शन	60 सीट	
	हिन्दी	3 सेक्शन	60 सीट	
	संस्कृत	1 सेक्शन	–	
	अंग्रेजी	2 सेक्शन	–	
	भूगोल	2 सेक्शन	–	
	इतिहास	1 सेक्शन	–	
	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	1 सेक्शन	–	
विज्ञान संकाय	रसायन विज्ञान	7 सेक्शन (3+1+1+1+1)	24 सीट	1. बी०एस-सी०(बायो.) रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व जन्तु विज्ञान में कुल 3 सैक्शन हैं।
	वनस्पति विज्ञान	4 सेक्शन	20 सीट	2. बी०एस-सी०(गणित) रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान व गणित में कुल 1 सैक्शन हैं।
	जन्तु विज्ञान	3 सेक्शन	20 सीट	
	भौतिक विज्ञान	3 सेक्शन (2+1)	20 सीट	3. बी०एस-सी०(सांख्यिकी) रसायन विज्ञान, गणित एवं सांख्यिकी में कुल 1 सैक्शन हैं।
	गणित	3 सेक्शन (2+1)	--	
	सांख्यिकी	3 सेक्शन	20 सीट	
कृषि विज्ञान संकाय	सस्य विज्ञान	3 सेक्शन	20 सीट	
	कृषि अर्थशास्त्र	3 सेक्शन	20 सीट	
	कृषि प्रसार	3 सेक्शन	20 सीट	
	दुग्ध विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी	3 सेक्शन	20 सीट	
	कृषि वनस्पति	3 सेक्शन	20 सीट	
	कृषि अभियन्त्रण	3 सेक्शन	–	
	पादप रोग विज्ञान	3 सेक्शन	–	
	कृषि रसायन विज्ञान	3 सेक्शन	–	
	उद्यान विज्ञान	3 सेक्शन	–	

स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम

संकाय	पाठ्यक्रम	स्नातक	स्नातकोत्तर	विषय
विज्ञान संकाय	औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान	1 सैक्शन	--	रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान रसायन विज्ञान औद्योगिक रसायन विज्ञान गणित
	औद्योगिक रसायन विज्ञान	1 सैक्शन	--	
	जैव सूचनीकी (बायो इनफोर्मेटिक्स)	1 सैक्शन	30 सीट	
	सूक्ष्म जीव विज्ञान	1 सैक्शन	30 सीट	
कृषि विज्ञान	उद्यान विज्ञान	1 सैक्शन	30 सीट	
शारीरिक शिक्षा संकाय	बी.पी.ई.(एकल विषय)	1 सैक्शन		

प्रस्तावित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम

संकाय	विषय	स्नातक	स्नातकोत्तर
विज्ञान संकाय	गणित	--	30 सीट
कला संकाय	भूगोल	--	60 सीट
	अंग्रेजी	--	60 सीट
वाणिज्य संकाय	बी०कॉम०	1 सैक्शन	
विधि संकाय	एल०एल०बी०	1 सैक्शन	
शारीरिक शिक्षा संकाय	बी.पी.ई.(एकल विषय)	1 सैक्शन	

पाठ्यक्रम

कला संकाय :– महाविद्यालय में बी.ए. एवं एम.ए. के अध्यापन की सुविधा उपलब्ध है।

(क) बी.ए. (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) सेमेस्टर सिस्टम

1. **मुख्य विषय :–** हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र
   पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान

बी.ए. तृतीय वर्ष में निम्नांकित फाउन्डेशन कोर्स में से एक विषय लेना अनिवार्य होगा।

1. हिन्दी भाषा 2. अंगेजी भाषा 3. संस्कृत भाषा 4. भारतीय संस्कृति एवं दर्शन
5. इंडियन सोसायटी एंड पोलिटिकल सिस्टम 6. एन्वायरनमैन्ट एंड कंजरवेशन ऑफ नेचुरल रिर्सोसिज
7. हैल्थ एंड जनरल साइन्स 8. इंडियन इकोनॉमी एंड मैनेजमेन्ट

(ख) एम.ए. महाविद्यालय में निम्न चार विषयों में स्नातकोत्तर (सेमेस्टर सिस्टम) स्तर पर शिक्षा उपलब्ध है।

1. अर्थशास्त्र 2. समाज शास्त्र 3. राजनीति शास्त्र 4. हिन्दी

इन विषयों में स्नातकोत्तर शिक्षा के अतिरिक्त विद्या वाचस्पति (पी०एच-डी०) के लिए भी शोध कार्य करवाये जाते हैं। संस्कृत एवं अंग्रेजी में भी विद्या वाचस्पति के लिए शोध कार्य करवाया जाता है।

विज्ञान संकाय :– महाविद्यालय में निम्न विषयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है।

(क) बी.एस-सी. (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) विज्ञान संकाय में स्नातक स्तर पर रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, सांख्यिकी, वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, औद्योगिक रसायन विज्ञान, औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव सूचनीकी (स्ववित्तपोषित) में शिक्षा उपलब्ध है।

(ख) एम.एस-सी. (दो वर्षीय पाठ्यक्रम-सेमेस्टर सिस्टम) महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा निम्न विषयों में उपलब्ध है – वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सांख्यिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव सूचनीकी (स्ववित्तपोषित)।

इन विषयों में उच्च कोटि का शोध कार्य भी कराया जाता है।

कृषि संकाय :– महाविद्यालय में विभिन्न विषयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षा व शोध कार्य के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध है।

(क) बी.एस-सी. कृषि (चार वर्षीय पाठ्यक्रम-सेमेस्टर सिस्टम) सभी कोर्स अनिवार्य हैं। किसी भी विकल्प की व्यवस्था नहीं है। सातवें सेमेस्टर में छात्रों को ग्रामीण कार्य कृषि अनुभव करने 3-4 महीने के लिए कृषि औद्यागिक इकाई तथा कृषि अनुसंधान केन्द्रों पर कार्य हेतु जाना होगा। जिसका निरीक्षण तथा मूल्यांकन महाविद्यालय के सम्बन्धित प्राध्यापकों द्वारा किया जायेगा।

(ख) एम.एस-सी. कृषि (दो वर्षीय पाठ्यक्रम-सेमेस्टर सिस्टम) कृषि प्रसार, शस्य विज्ञान, कृषि वनस्पति विज्ञान, कृषि अर्थशास्त्र दुग्ध विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी (पशुपालन एवं डेयरी) एवं उद्यान विज्ञान (स्ववित्तपोषित)।

महाविद्यालय में उक्त विषयों में स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा के अतिरिक्त शोध कार्यों का मार्ग दर्शन भी किया जाता है।

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र

जनता वैदिक कॉलिज, बड़ौत (बागपत) (कोड-2798)

महाविद्यालय में पिछले 7 वर्षों से इग्नू का अध्ययन केन्द्र भी है। इस केन्द्र पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में सैकड़ो विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। इस समय इग्नू द्वारा 89 अध्ययन कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें सर्टीफिकेट (प्रमाण-पत्र), डिप्लोमा, स्नातक व स्नातकोत्तर श्रेणी के पाठ्यक्रम हैं। महाविद्यालय में स्थित अध्ययन केन्द्र पर निम्नांकित पाठ्यक्रमों में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है :-

एम.एच.डी.	1.	MHD (एम.ए. हिन्दी)	कोई आयु सीमा नहीं	माध्यम हिन्दी
एम.ए.एच.	2.	MAH (एम.ए. इतिहास)	कोई आयु सीमा नहीं	माध्यम अंग्रेजी व हिन्दी
एम.एस.ओ.	3.	MSO (एम.ए. समाजशास्त्र)	कोई आयु सीमा नहीं	माध्यम अंग्रेजी व हिन्दी
एम.पी.एस.	4.	MPS (एम.ए. राजनीतिशास्त्र)	कोई आयु सीमा नहीं	माध्यम अंग्रेजी व हिन्दी
एम.ई.जी.	5.	MEG (एम.ए. अंग्रेजी)	कोई आयु सीमा नहीं	माध्यम अंग्रेजी
एम.ई.सी.	6.	MEC (एम.ए. अर्थशास्त्र)	कोई आयु सीमा नहीं	माध्यम अंग्रेजी व हिन्दी

एम.बी.ए.- 2½ वर्षीय पाठ्यक्रम है। पूरा पाठ्यक्रम 21 कोर्स में बंटा हुआ है।
प्रवेश परीक्षा द्वारा होता है जो इग्नू द्वारा प्रतिवर्ष अगस्त माह में लिया जाता है।

1. बी.सी.ए. (BCA)- तीन वर्षीय पाठ्यक्रम, 10+2 के बाद सीधा प्रवेश है।
2. बी.ए.(BA)- तीन वर्षीय पाठ्यक्रम, योग्यता 10+2 या इग्नू से बी.पी.पी.
3. बी.एस.सी.(B.Sc.)- तीन वर्षीय पाठ्यक्रम, 10+2 के बाद सीधा प्रवेश है।
4. बी.कॉम.(B.Com.)- तीन वर्षीय पाठ्यक्रम, योग्यता 10+2 या इग्नू से बी.पी.पी. के बाद सीधा प्रवेश।
   बी.कॉम. का विद्यार्थी CIC (कम्प्यूटर कोर्स) के दो पेपर भी साथ-साथ कर सकता है।
5. बी.टी.एस.(BTS)- टूरिज्म में स्नातक डिग्री, तीन वर्षीय पाठ्यक्रम, योग्यता 10+2 या इग्नू से बी.पी.पी.

इग्नू के पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी हेतु डा० साधना तोमर (9897294996) से सम्पर्क करें।

डिप्लोमा पाठ्यक्रम

1. डी.डी.टी. (DDT) - **डेयरी प्रौद्योगिकी डिप्लोमा**
2. पी.जी.डी.आर.डी. (PGDRD) - **ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा**
   योग्यता - स्नातक डिग्री कोई आयु सीमा नहीं माध्यम अंग्रेजी व हिन्दी
3. पी.जी.डी.आई.बी.ओ. (PGDIBO) - **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संचालन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा**
   योग्यता - स्नातक डिग्री कोई आयु सीमा नहीं
4. पी.जी.डी.एम.एम. (PGDMM) - **प्रबन्ध में स्नातक डिप्लोमा**
   एम.बी.ए. के लिए निर्धारित योग्यता कोई आयु सीमा नहीं
5. पी.जी.डी.डी.एम. (PGDDM) - **आपदा प्रबन्धन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा**
   योग्यता - स्नातक डिग्री कोई आयु सीमा नहीं
6. डी.ए.एफ.ई. (DAFE) - **एच.आई.वी. और परिवार शिक्षा में डिप्लोमा**
   योग्यता - 10+2 या इग्नू से बी.पी.पी.
7. डी.एन.एच.ई. (DNHE) - **पोषण और स्वास्थ्य में डिप्लोमा**
   योग्यता - 10+2 लड़कियों के लिए विशेष उपयोगी
8. डी.टी.एस. (DTS) - **पर्यटन अध्ययन में डिप्लोमा**
   योग्यता - 10+2 या इग्नू से बी.पी.पी.

डी.डी.टी. के पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी हेतु डा० राजेश कुमार गुप्ता (9457019679) से सम्पर्क करें।

महाविद्यालय परिवार

प्राचार्य – आचार्य (डॉ.) जयकुमार सरोहा

एम.ए.,एम.फिल, पीएच.डी. (राजनीति विज्ञान)

रसायन विज्ञान विभाग

1.	डॉ० श्याम किशोर	एम.एस-सी., पीएच.डी.	सह आचार्य एवं विभाग प्रभारी	8010636233
2.	डॉ० (श्रीमती) मुनेश	एम.एस-सी., पीएच.डी.	सहायक आचार्य	9868055629
3.	डॉ० उमेन्द्र कुमार	एम.एस-सी., पीएच.डी.	सहायक आचार्य	9411986674
4.	डॉ० अनुज कुमार बालियान	एम.एस-सी., नेट, पीएच.डी.	सहायक आचार्य	8586985520
5.	सुश्री दीप्ति चौहान	एम.एस-सी., नेट	सहायक आचार्य	9667707017
6.	सुश्री सरिता	एम.एस-सी., नेट	सहायक आचार्य	8168463511
7.	श्री योगेश कुमार	एम.एस-सी., नेट	सहायक आचार्य	9161525645
8.	सुश्री श्वेता अग्रवाल	एम.एस-सी., नेट	सहायक आचार्य	9905016584

9 से 15 रिक्त

भौतिक विज्ञान विभाग

1.	डॉ० रविन्द्र कुमार	एम.एस-सी., पीएच.डी.	सह आचार्य एवं विभाग प्रभारी	9215612048
2.	डॉ० विनय कुमार	एम.एस-सी., एम.फिल.,पीएच.डी.	सह आचार्य	9412648258
3.	श्री प्रशान्त यादव	एम.एस-सी., नेट	सहायक आचार्य	9870885884

4 से 7 रिक्त

जन्तु विज्ञान विभाग

1.	डॉ० अरविन्द कुमार	एम.एस-सी., पीएच.डी.	अवैतनिक अवकाश पर	
2.	श्री हरीश कुमार	एम.एस-सी., एम.फिल.	सहा. आचार्य एवं विभाग प्रभारी	8445095620
3.	डॉ० अनिल कुमार	एम.एस-सी., पीएच.डी.	सहायक आचार्य	9412361543
4.	श्री हीरा लाल	एम.एस-सी., एम.फिल.	सहायक आचार्य	9411692347
5.	डॉ० देवेन्द्रपाल सिंह	एम.एस-सी., पीएच.डी.	सहायक आचार्य	9410413525
6.	डॉ० अमरपाल सिंह	एम.एस-सी., पीएच.डी.	सहायक आचार्य	9411081203
7.	श्री अमित कुमार आनन्द	एम.एस-सी., नेट	सहायक आचार्य	9716807441
8.	श्री राजेश कुमार राठी	एम.एस-सी., नेट	सहायक आचार्य	9634208081
9.	डॉ० मालती	एम.एस-सी., नेट, पीएच.डी.	सहायक आचार्य	9410608199

10. रिक्त

वनस्पति विज्ञान विभाग

1.	डॉ० शीशपाल सिंह	एम.एस-सी., पीएच.डी.	सह आचार्य एवं विभाग प्रभारी	9456687309
2.	डॉ० मनोज कुमार शर्मा	एम.एस-सी., पीएच.डी.	सहायक आचार्य	9457700488
3.	डॉ० (श्रीमती) इन्दु	एम.एस-सी., पीएच.डी.	सहायक आचार्य	9639021001
4.	डॉ० (श्रीमती) रेणु चौधरी	एम.एस-सी., पीएच.डी.	सहायक आचार्य	8958887575

5. डॉ० चन्द्रपाल सिंह	एम.एस–सी., पीएच.डी.	सहायक आचार्य	8279798163
6. डॉ० तारकेश्वर नाथ तिवारी	एम.एस–सी., पीएच.डी.	सहायक आचार्य	9450603927
7. डॉ० प्रशान्त कुमार मिश्रा	एम.एस–सी., पीएच.डी.	सहायक आचार्य	8765275247
8 से 10 रिक्त			

सांख्यिकी विभाग

1. डॉ० शिव कुमार	एम.एस–सी., पीएच.डी.	सह आचार्य एवं विभाग प्रभारी	9868645990
2. श्री राजीव कुमार	एम.एस–सी., एम.फिल.	सहायक आचार्य	9410887682
3 से 5 रिक्त			

गणित विभाग

1. डॉ० मदनपाल सिंह	एम.एस–सी., एम.फिल, पीएच.डी.	सह आचार्य एवं विभाग प्रभारी	9837584399
2. रिक्त			

हिन्दी विभाग

1. डॉ० (श्रीमती) साधना तोमर	एम.ए., पीएच.डी., डी.लिट्	सह आचार्य एवं विभाग प्रभारी	9897294996
2. डॉ० अमित कुमार पाण्डेय	एम.ए., पीएच.डी.	सहायक आचार्य	9716584994
3. डॉ० (श्रीमती) गीता रानी	एम.ए., पीएच.डी., डी.लिट्	सहायक आचार्य	7017190211
4. डॉ० (श्रीमती) नीलम राणा	एम.ए., पीएच.डी.	सहायक आचार्य	9456486034
5. रिक्त			

समाज शास्त्र विभाग

1. डॉ० देवेन्द्रपाल सिंह तोमर	एम.ए., पीएच.डी.	सह आचार्य एवं विभाग प्रभारी	9997285482
2. डॉ० सत्येन्द्र सिंह	एम.ए., पीएच.डी.	सह आचार्य	9410048279
3 से 4 रिक्त			

राजनीति शास्त्र विभाग

1. डॉ० नरेन्द्र सिंह	एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.	सह आचार्य एवं विभाग प्रभारी	9456036161
2. डॉ० प्रताप चौधरी	एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.	सह आचार्य	9412111884
3 से 4 रिक्त			

अर्थशास्त्र विभाग

1. श्री उर्वेन्द्र कुमार	एम.ए., नेट	सह आचार्य एवं विभाग प्रभारी	9456265160
2. डॉ० लोकेन्द्र सिंह	एम.ए., पीएच.डी.	सह आचार्य	9410450859
3 से 4 रिक्त			

अंग्रेजी विभाग

1. डॉ० राम शर्मा	एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.	सह आचार्य एवं विभाग प्रभारी	9219710874
2 से 3 रिक्त			

भूगोल विभाग

1. डॉ० देवेन्द्र सिंह	एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी.	सहायक आचार्य एवं विभाग प्रभारी	8126149461
2. श्री विपिन कुमार चौरसिया	एम.ए., नेट	अवैतनिक अवकाश पर	
3. श्री अजय कुमार राम	एम.ए., नेट	सहायक आचार्य	8858528444
4. श्री मधुर यादव	एम.ए., नेट	सहायक आचार्य	7394926353
5. श्री पुनीत गौतम	एम.ए., नेट	सहायक आचार्य	7611806259

संस्कृत विभाग

1. श्री शिवपाल	एम.ए., नेट	सहायक आचार्य	9415587294
2. रिक्त			

इतिहास विभाग

1. श्री अनिल कुमार	एम.ए., नेट	सहायक आचार्य एवं विभाग प्रभारी	9415587294
2. रिक्त			

कृषि वनस्पति विज्ञान विभाग

1. डॉ० विपिन कुमार द्विवेदी	एम.एस-सी., (कृषि) पीएच.डी.	सह आचार्य एवं विभाग प्रभारी	9457263835
2. डॉ० राजेश कुमार गुप्ता	एम.एस-सी., (कृषि) पीएच.डी.	सह आचार्य	9457019679
3. डॉ० अनुराग त्रिपाठी	एम.एस-सी., (कृषि) पीएच.डी.	सहायक आचार्य	6265089795
4. श्री अमित नागर	एम.एस-सी., (कृषि)नेट	सहायक आचार्य	8433105711
5. श्रीमती आकांख्या गुरु	एम.एस-सी., (कृषि)नेट	सहायक आचार्य	8895206351
6. रिक्त			

दुग्ध विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

1. डॉ० देवेश गुप्ता	एम.एस-सी., (कृषि) पीएच.डी.	सह आचार्य एवं विभाग प्रभारी	7830141563
2. डॉ० मोजपाल सिंह	एम.एस-सी., (कृषि) पीएच.डी.	सह आचार्य	9412210091
3. डॉ० राकेश कुमार आत्रेय	एम.एस-सी., (कृषि) पीएच.डी.	सहायक आचार्य	9411957966
4 से 6 रिक्त			

शस्य विज्ञान विभाग

1. डॉ० जयबीर तोमर	एम.एस-सी., (कृषि) पीएच.डी.	सह आचार्य एवं विभाग प्रभारी	9358793983
2. डॉ० तेजवीर सिंह तोमर	एम.एस-सी., (कृषि) पीएच.डी.	सहायक आचार्य	9411641346
3. डॉ० रघुराज सिंह	एम.एस-सी., (कृषि) पीएच.डी.	सहायक आचार्य	9457005580
4. डॉ० विजयपाल सिंह	एम.एस-सी., (कृषि) पीएच.डी.	सहायक आचार्य	9452672797
5. डॉ० (श्रीमती) सविता तोमर	एम.एस-सी., (कृषि) पीएच.डी.	सहायक आचार्य	7669456178
6. रिक्त			

कृषि अर्थशास्त्र विभाग

1. डॉ० अरूण सोलंकी	एम.एस-सी., (कृषि) पीएच.डी.	सह आचार्य एवं विभाग प्रभारी	9760006848
2. श्री पुखराज सिंह	एम.एस-सी., (कृषि) नेट	सहायक आचार्य	9997872478

3. डॉ० शिवकुमार	एम.एस-सी., (कृषि) पीएच.डी.	सहायक आचार्य	8756733815
4. रिक्त			

कृषि प्रसार विभाग

1. डॉ० गजेन्द्र प्रताप सिंह	एम.एस-सी., (कृषि) पीएच.डी.	सह आचार्य एवं विभाग प्रभारी	9412834298
2. डॉ० लोकेन्द्र कुमार सिंह	एम.एस-सी., (कृषि) पीएच.डी.	सह आचार्य	9412834148
3. श्री अशोक कुमार गौतम	एम.एस-सी., (कृषि) नेट	सहायक आचार्य	9411982045
4. श्री रविशंकर	एम.एस-सी., (कृषि) नेट	सहायक आचार्य	8299455347
5. रिक्त			

कृषि अभियन्त्रण विभाग

1. डॉ० (श्रीमती) शीतल बाँगा	एम.टेक, (कृषि) पीएच.डी.	सहायक आचार्य एवं विभाग प्रभारी	8218502629
2. श्री सुधीर कुमार सिंह	एम.एस-सी., (कृषि) नेट	सहायक आचार्य	9669937174

उद्यान विभाग

1. डॉ० जोगिन्द्र सिंह	एम.एस-सी., (कृषि) पीएच.डी.	सहायक आचार्य एवं विभाग प्रभारी	9760478520
2. डॉ० सौरभ कुमार	एम.एस-सी., (कृषि) पीएच.डी.	सहायक आचार्य	9690480838
3. डॉ० अनुपम तिवारी	एम.एस-सी., (कृषि) नेट, पीएच.डी.	सहायक आचार्य	9919440235
4. श्री अभय विक्रम सिंह	एम.एस-सी., (कृषि) नेट	सहायक आचार्य	9889898829

पादप रोग विज्ञान विभाग

1. डॉ० (श्रीमती) रश्मि निगम	एम.एस-सी., (कृषि) पीएच.डी.	सहायक आचार्य एवं विभाग प्रभारी	9936078795
2. श्री मुकेश कुमार	एम.एस-सी., (कृषि) नेट	सहायक आचार्य	9958234136

कृषि रसायन शास्त्र विभाग

1. रिक्त
2. रिक्त

कृषि सांख्यिकी विभाग

1. डॉ० राजाराम यादव	एम.एस-सी., (कृषि) पीएच.डी.	सहायक आचार्य एवं विभाग प्रभारी	8840523810

कीट विज्ञान विभाग

1. डॉ० धर्मेन्द्र कुमार	एम.एस-सी., (कृषि) पीएच.डी.	सहायक आचार्य एवं विभाग प्रभारी	8126149461
2. डॉ० योगेन्द्र सैन	एम.एस-सी., (कृषि) पीएच.डी.	सहायक आचार्य	6398281098

खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा विभाग

1. श्री अनन्त कुमार	एम.पी.एड., नेट	सहायक आचार्य	9658413614
2. रिक्त			

पुस्तकालय विभाग

1. श्री ब्रजराज सिंह तोमर	एम.लिब,एम.फिल., नेट	सहायक आचार्य एवं पुस्तकालयाध्यक्ष	8279808554

प्रवेश समितियाँ (शैक्षिक सत्र 2022–23)

विज्ञान संकाय

प्रवेश समन्व्यक - विज्ञान संकाय — **डॉ० श्याम किशोर**

स्नातक - जीव विज्ञान वर्ग

प्रथम वर्ष

1. डॉ० अमरपाल सिंह
2. डॉ० मनोज कुमार शर्मा
3. डॉ० इन्दु
4. डॉ० चन्द्रपाल सिंह
5. सुश्री दीप्ति चौहान
6. डॉ० प्रशान्त कुमार मिश्रा
7. सुश्री सरिता

द्वितीय वर्ष

1. डॉ० अनिल कुमार
2. डॉ० रेणु चौधरी
3. डॉ० तारकेश्वर नाथ तिवारी
4. डॉ० देवेन्द्र पाल सिंह

तृतीय वर्ष

1. डॉ० (श्रीमती) मुनेश
2. श्री हरीश कुमार
3. श्री अमित कुमार आनन्द

स्नातक - गणित

प्रथम वर्ष

1. डॉ० शिवकुमार
2. श्री प्रशान्त यादव
3. डॉ० अनुज कुमार बालियान
4. श्री योगेश कुमार

द्वितीय वर्ष

1. डॉ० रविन्द्र कुमार
2. श्री राजीव कुमार

तृतीय वर्ष

1. डॉ० (श्रीमती) मुनेश
2. डॉ० उर्मेन्द्र कुमार

स्नातकोत्तर

एम०एस-सी० वनस्पति विज्ञान

प्रथम वर्ष

1. डॉ० शीशपाल सिंह
2. डॉ० (श्रीमती) इन्दु

द्वितीय वर्ष

1. डॉ० मनोज कुमार शर्मा
2. डॉ० रेणु चौधरी

एम०एस-सी० रसायन विज्ञान

प्रथम वर्ष

1. डॉ० मुनेश
2. सुश्री श्वेता अग्रवाल

द्वितीय वर्ष

1. डॉ० उमेन्द्र कुमार
2. डॉ० अनुज कुमार बालियान

एम०एस-सी० जन्तु विज्ञान

प्रथम वर्ष

1. डॉ० राजेश कुमार राठी
2. डॉ० मालती

द्वितीय वर्ष

1. श्री हरीश कुमार
2. श्री हीरा लाल

एम०एस-सी० भौतिक विज्ञान

प्रथम वर्ष

1. डॉ० रविन्द्र कुमार
2. श्री प्रशान्त यादव

द्वितीय वर्ष

1. डॉ० विनय कुमार

एम०एस-सी० सांख्यिकी

प्रथम वर्ष

1. डॉ० शिव कुमार
2. श्री राजीव कुमार

द्वितीय वर्ष

1. डॉ० शिव कुमार

कला संकाय

प्रवेश समन्व्यक - कला संकाय — **डॉ० प्रताप चौधरी**

स्नातक - बी०ए०

प्रथम वर्ष

1. डॉ० सत्येन्द्र सिंह
2. डॉ० राम शर्मा
3. डॉ० लोकेन्द्र सिंह
4. श्री अनिल कुमार
5. श्री अजय कुमार राम
6. डॉ० अमित कुमार पाण्डेय
7. श्री ब्रजराज सिंह तोमर
8. डॉ० गीता रानी

द्वितीय वर्ष

1. डॉ० (श्रीमती) साधना तोमर
2. डॉ० देवेन्द्र सिंह
3. श्री शिवपाल

तृतीय वर्ष

1. श्री उर्वेन्द्र कुमार
2. डॉ० नीलम राणा

स्नातकोत्तर

एम०ए०- हिन्दी

प्रथम वर्ष

1. डॉ० (श्रीमती) साधना तोमर
2. डॉ० अमित कुमार पाण्डेय

द्वितीय वर्ष

1. डॉ० गीता रानी
2. डॉ० नीलम राणा

एम०ए०- समाज शास्त्र

प्रथम वर्ष

1. डॉ० देवेन्द्र पाल सिंह तोमर

एम०ए०- समाज शास्त्र

द्वितीय वर्ष

1. डॉ० सत्येन्द्र सिंह

एम०ए०- राजनीति शास्त्र

प्रथम वर्ष

1. डॉ० नरेन्द्र सिंह

द्वितीय वर्ष

1. डॉ० प्रताप चौधरी

एम०ए०- अर्थशास्त्र

प्रथम वर्ष

1. श्री उर्वेन्द्र कुमार

द्वितीय वर्ष

1 डॉ० लोकेन्द्र सिंह

कृषि संकाय

प्रवेश समन्वयक - कृषि संकाय — **डॉ० अरुण सोलंकी**

स्नातक - बी०एस-सी०(कृषि)

प्रथम वर्ष

1. डॉ० राजेश कुमार गुप्ता
2. डॉ० जोगेन्द्र सिंह
3. डॉ० रघुराज सिंह
4. डॉ० सौरभ कुमार सिंह
5. डॉ० राजाराम यादव
6. श्रीमती आकांख्या गुरु

द्वितीय वर्ष

1. डॉ० विजयपाल
2. डॉ० योगेन्द्र सैन
3. डॉ० शीतल बाँगा
4. डॉ० सविता तोमर

तृतीय वर्ष

1. डॉ० लोकेन्द्र कुमार सिंह
2. श्री पुखराज सिंह
3. डॉ० मुकेश कुमार
4. श्री अशोक कुमार गौतम

चतुर्थ वर्ष

1. डॉ० देवेश गुप्ता
2. डॉ० (श्रीमती) रश्मि निगम
3. डॉ० अनुपम तिवारी
4. डॉ० धर्मेन्द्र कुमार

स्नातकोत्तर

एम०एस-सी०- कृषि वनस्पति विज्ञान

प्रथम वर्ष

1. डॉ० वी. के. द्विवेदी
2. श्री अमित नागर

द्वितीय वर्ष

1. डॉ० राजेश कुमार गुप्ता
2. डॉ० अनुराग त्रिपाठी

एम०एस-सी०- कृषि (कृषि प्रसार)

प्रथम वर्ष

1. डॉ० गजेन्द्र प्रताप सिंह
2. डॉ० लोकेन्द्र कुमार सिंह
3. श्री अशोक कुमार गौतम

द्वितीय वर्ष

1. डॉ० जी. पी. सिंह
2. श्री रविशंकर

एम०एस-सी०- कृषि (दुग्ध विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी)

प्रथम वर्ष

1. डॉ० देवेश गुप्ता
2. डॉ० राकेश कुमार आत्रेय

द्वितीय वर्ष

1. डॉ० मौजपाल सिंह

एम०एस-सी०- कृषि (अर्थशास्त्र)

प्रथम वर्ष

1. श्री पुखराज सिंह

द्वितीय वर्ष

1. डॉ० अरुण सौलंकी

एम०एस-सी०- कृषि (शस्य विज्ञान)

प्रथम वर्ष

1. डॉ० जयबीर तोमर
2. डॉ० रघुराज सिंह

द्वितीय वर्ष

1. डॉ० तेजवीर सिंह तोमर
2. डॉ० विजयपाल

स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम

स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम निदेशक / प्रवेश प्रभारी : डॉ० मदनपाल सिंह

स्नातक -

बी०एस-सी० औद्योगिक रसायन

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष

1. डॉ० उमेन्द्र कुमार
2. डॉ० मानव कुमार चौधरी
3. डॉ० रोबिन जैन

बी०एस-सी० औद्योगिक सूक्ष्म जीव विज्ञान

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष

1. डॉ० मनोज कुमार शर्मा
2. डॉ० (श्रीमती) इन्दु
3. डॉ० रेणु चौधरी

स्नातकोत्तर -

एम०एस-सी० - जैव सूचनीकी

प्रथम एवं द्वितीय वर्ष

1. डॉ० मनोज कुमार शर्मा
2. श्री मनोज कुमार शर्मा (जैव सूचनीकी)

एम०एस-सी० - सूक्ष्म जीव विज्ञान

प्रथम एवं द्वितीय वर्ष

1. डॉ० महेश कुमार
2. डॉ० वरुण कुमार तोमर

एम०एस-सी० - उद्यान विज्ञान

प्रथम वर्ष

1. डॉ० महेन्द्र सिंह

द्वितीय वर्ष

1. डॉ० अनुपम तिवारी
2. डॉ० सौरभ कुमार सिंह

सहायक आचार्य (स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम)

क्रम सं०	शिक्षक का नाम	विभाग
1.	डॉ० महेश कुमार	सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग
2.	डॉ० वरूण कुमार तोमर	सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग
3.	डॉ० (श्रीमती) रीना तोमर	सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग
4.	डॉ० महेन्द्र सिंह	उद्यान विभाग
5.	डॉ० अनिरूद्ध कुमार शर्मा	उद्यान विभाग
6.	श्री मनोज कुमार शर्मा	जैव सूचनीकी विभाग (बायोइन्फोर्मेटिक्स)
7.	डॉ० सचिन	जैव सूचनीकी विभाग (बायोइन्फोर्मेटिक्स)
8.	श्री प्रमेन्द्र सिंह	शारीरिक शिक्षा विभाग (बी.पी.एड.)
9.	श्री अनिल कुमार	शारीरिक शिक्षा विभाग (बी.पी.एड.)
10.	डॉ० रोबिन जैन	औद्योगिक रसायन विभाग
11.	डॉ० मानव कुमार चौधरी	औद्योगिक रसायन विभाग
12.	डॉ० मनोज कुमार	शारीरिक शिक्षा विभाग (बी.पी.एड.)
13.	श्री रकम सिंह मलिक	शारीरिक शिक्षा विभाग (बी.पी.एड.)
14.	डॉ० सत्येन्द्र सिंह	शारीरिक शिक्षा विभाग (बी.पी.एड.)

FEE STRUCTURE

Year 2022-23

HUMANITIES

FEE	B.A. I	B.A. II	B.A. III	M.A. I	M.A. II
BOYS	-------	-------	-------	1056	1001
TOTAL WITH GEOG.	1802	1747	1187	------	------
TOTALWithout GEOG.	1562	1507	947	------	------
GIRLS	-------	-------	-------	876	821
TOTAL WITH GEOG.	1670	1615	1055	------	------
TOTALWithout GEOG.	1430	1375	815	------	------

SCIENCE

FEE	B.Sc. I	B.Sc. II	B.Sc. III	M.Sc. I	M.Sc. II
BOYS	-------	-------	-------	1296	1241
TOTAL WITH MATH	2042	1987	1427	------	------
TOTALWithout MATH	2282	2227	1667	------	------
GIRLS	-------	-------	-------	1116	1061
TOTAL WITH MATH	1910	1855	1295	------	------
TOTALWithout MATH	2150	2095	1535	------	------

AGRICULTURE

FEE		B.Sc. I	B.Sc. II	B.Sc. III + IV	M.Sc. I	M.Sc. II
G.TOTAL	**BOYS**	2442	2307	2387	1296	1241
	GIRLS	2310	2255	2255	1116	1061

FEE STRUCTURE

Year 2022-23

SELF FINANCE COURSE

FEE	BOYS	GIRLS			
B.Sc. I (Ind. Micro.)	7282	7150			
B.Sc.II	7227	7095			
B.Sc.III	6667	6535			
B.Sc.I (Ind. Chemistry)	7042	6910			
B.Sc.II	6987	6855			
B.Sc.III	6427	6295			
		Ist Sem.	**IInd Sem**		
M.Sc. I (Micro Biology)	30950	20950	10000		
		IIIrd Sem.	**IVth Sem**		
M.Sc. II	28950	20950	8000		
		Ist Sem.	**IInd Sem**		
M.Sc. I (Bio Informatics)	30950	20950	10000		
		IIIrd Sem.	**IVth Sem**		
M.Sc. II	28950	20950	8000		
M.Sc.I (Horticulture)	15635				
M.Sc.II	12955				
B.P.Ed. I	31000				
B.P.Ed. II	30000				

शैक्षिक सत्र 20..... - 20.....

इण्डियन बैंक, बड़ौत (बागपत) शुल्क खाता सं० 50033008602

जनता वैदिक कॉलिज, बड़ौत (बागपत)

नोट : (केवल तीन दिन के लिए वैध)

क्रमांक दिनांक.....

छात्र/छात्रा का नाम..... पिता का नाम.....

कक्षा..... शैक्षिक सत्र.....

माह से तक

क०सं०	विवरण		धनराशि
1.	पंजीकरण शुल्क (प्रथम वर्ष)	–	5.00
2.	प्रवेश शुल्क	–	3.00
3.	शिक्षण शुल्क (स्नातकोत्तर रु. 180/- स्नातक रु. 132/-) (छात्रायें नि:शुल्क)	–	
4.	मंहगाई शुल्क	–	42.00
5.	पुस्तकालय शुल्क	–	36.00
6.	प्रयोगशाला शुल्क (स्नातक रु. 240/- प्रति विषय / स्नातकोत्तर रु. 240/-)	–	
7.	ग्रीष्म-शीतकालीन शुल्क	–	18.00
8.	जनरेटर शुल्क	–	100.00
9.	क्रीड़ा शुल्क	–	100.00
10.	क्रीड़ा प्रयोगात्मक परीक्षा शुल्क	–	60.00
11.	चिकित्सा शुल्क	–	12.00
12.	वाचनालय शुल्क (स्नातकोत्तर रु. 18/- स्नातक रु. 12/-)	–	
13.	परिचय-पत्र शुल्क	–	3.00
14.	5/- निर्धन छात्र सहायता, 5/- कल्याण कोष शुल्क	–	10.00
15.	छात्र संघ शुल्क	–	10.00
16.	पत्रिका शुल्क	–	30.00
17.	प्राभूति शुल्क (केवल प्रथम वर्ष की कक्षाओं से)	–	50.00
18.	सांस्कृतिक शुल्क	–	15.00
19.	अंकतालिका शुल्क (प्रति सेमेस्टर)	–	35.00
20.	इंटरनेट कनेक्शन फीस	–	20.00
21.	रोल नम्बर वितरण शुल्क (प्रति सेमेस्टर)	–	25.00
22.	विकास शुल्क	–	36.00
23.	रोवर्स व रेन्जर्स शुल्क	–	24.00
24.	कौशल विकास शुल्क (प्रति सेमेस्टर)	–	250.00
		कुल योग	

शब्दों में रुपये मात्र

हस्ताक्षर लिपिक

आवश्यक सूचना :-

1. चालान की दूसरी प्रति नहीं दी जायेगी।
2. चालान में अंकित धनराशि चालान के दिनाँक से तीन दिन तक ही बैंक में समयानुसार जमा हो जाना चाहिए।
3. चालान के खोने व फटने का उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से छात्र/छात्रा का ही होगा।
4. प्राभूति शुल्क के अतिरिक्त कोई शुल्क वापिस नहीं होगा।
5. इण्डियन बैंक, जनता वैदिक कॉलिज, बड़ौत शाखा पर ही शुल्क जमा होगा और किसी अन्य शाखा पर नहीं।

(चालान की दूसरी प्रति नहीं मिलेगी।)

स्मृति स्वर्ण पदक

स्मृति स्वर्ण पदक	प्रदाता	कक्षा
1. श्रीमती किशन देई श्री रणवीर सिंह	श्रीमती नीना चौधरी डॉ. प्रताप चौधरी	एम.ए. द्वितीय वर्ष (राजनीति विज्ञान)
2. स्व. श्रीमती फूलवती देवी स्व. श्री चौ. माँगेराम	श्री मदनपाल सिंह (पूर्व कार्यालय अधीक्षक)	एम.एस-सी., कृषि (शस्य विज्ञान)
3. डॉ. सत्यपाल सिंह	श्री सत्य नितिन सिंह	एम.एस-सी. द्वितीय वर्ष (भौतिक विज्ञान)
4. डॉ. एम.एच. मोरी गौडा	डॉ. जोगिन्द्र सिंह	एम.एस-सी.,कृषि द्वितीय वर्ष (उद्यान विज्ञान)
5. श्रीमती ऊषा गुप्ता श्रीहरचरण लाल गुप्ता	डॉ. देवेश गुप्ता	एम.एस-सी.,कृषि प्रथम वर्ष (दुग्ध विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी)
6. डॉ. सुरेन्द्र शर्मा	डॉ. सुरेन्द्र शर्मा	कॉलिज ब्लू बेस्ट स्टूडेन्ट ऑफ दा ईयर
7. श्री युद्धवीर सिंह	डॉ. धर्मेन्द्र तोमर	एम.एस-सी., प्रथम वर्ष (सूक्ष्म जीव विज्ञान)
8. श्री सत्यपाल सिंह तोमर	डॉ. वरूण कु. तोमर	एम.एस-सी., द्वितीय वर्ष (सूक्ष्म जीव विज्ञान)
9. श्रीमती फूलवती देवी	डॉ. जितेन्द्र मोहन	एम.एस-सी. प्रथम वर्ष (वनस्पति विज्ञान)
10. चौ. ज्ञान सिंह	डॉ. सुरेन्द्र पाल सिंह	बी.एस-सी. (जीव विज्ञान)
11. चौ. नत्थूराम बूरा	डॉ. पृथ्वीराज बूरा	एम.एस-सी. द्वितीय वर्ष (जन्तु विज्ञान)
12. चौ. जगपाल सिंह	डॉ. निर्मला देवी	एम.ए. द्वितीय(समस्त विषय)
13. श्रीमती जलकौर देवी	डॉ. साधना तोमर	एम.ए. द्वितीय वर्ष (हिन्दी)

छात्रवृत्ति

1. चौ. परशाराम स्मारक छात्रवृत्ति	डॉ. दुष्यन्त तोमर (अमित राणा) अध्यक्ष- न.पा.परिषद्, बड़ौत	बी.ए. प्रथम सेमेस्टर में सर्वोच्च अंक प्राप्त बालिका

छात्र एवं छात्राओं के लिए आवश्यक निर्देश

- ☆ किसी भी सूचना के लिए प्रतिदिन सूचना पट/कॉलिज वेबसाइट देखें।
- ☆ कॉलिज को स्वच्छ रखना हम सभी का कर्तव्य है।
- ☆ साईकिल, स्कूटर आदि पार्किंग पर ही खड़ा करें।
- ☆ पुस्तकालय/वाचनालय का प्रयोग करें, दुरुपयोग या हानि नहीं।
- ☆ पुस्तकें अमूल्य हैं, इन्हें खराब या नष्ट न करें।
- ☆ कॉलिज परिसर में परिचय पत्र साथ रखें, माँगने पर अवश्य दिखायें।
- ☆ छात्र एवं छात्राओं द्वारा परिसर में ट्रांजिस्टर, टेप रिकार्डर व मोबाइल फोन लाना वर्जित है।
- ☆ पॉलिथीन पर्यावरण के लिए अभिशाप है, इसके प्रयोग से बचें।
- ☆ छात्र एवं छात्राओं को कॉलिज द्वारा निर्धारित वेशभूषा में आना अनिवार्य है।

मूल्य : ₹ 150/-

Printed by : Lakshmi Offset Printers, Gandhi Road, Baraut (Baghpat) Ph.: 7017969315